

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082020-221308
CG-DL-E-22082020-221308

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2020/श्रावण 30, 1942
No. 207]	NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2020/SHRAVANA 30, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2020

प्रारंभिक जांच परिणाम

(ओआई मामला सं. 30/2019)

विषय: तुर्की और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “सोडा ऐश” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच के मामले में प्रारंभिक जांच परिणाम।

फा. सं. 6/39/2019-डीजीटीआर.—क. मामले की पृष्ठभूमि

समय समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 (इसके पश्चात अधिनियम के रूप में भी संदर्भित) और उसका समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आंकलन और संकलन तथा क्षति निर्धारण के लिए) नियमावली 1995 (इसके पश्चात “नियमावली” अथवा “पाटनरोधी नियमावली” के रूप में भी संदर्भित) के संबंध में:

जबकि मै. डीसीडब्ल्यू लि., मै. आरएसपीएल और मै. जीएचसीएल (इसके पश्चात् “आवेदकों” अथवा “घरेलू उद्योग” के रूप में भी संदर्भित) ने तुर्की और यूएसए से (इसके पश्चात् “संबद्ध देशों” के रूप में भी संदर्भित) के मूल के

अथवा वहां से निर्यातित “सोडा ऐश” (इसके पश्चात् “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” के रूप में भी संदर्भित) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए सीमा प्रशुल्क अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके पश्चात् “प्राधिकारी” के रूप में भी संदर्भित) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है।

और जबकि प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देशों के मूल के अथवा से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की मात्रा जिसे अगर लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 22 जनवरी, 2020 की अधिसूचना सं. 6/39/2019-डीजीटीआर के माध्यम से एक आम सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

1. यहां नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के संबंध में की गई है:
- क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने की कार्यवाही करने के पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 22 जनवरी, 2020 को आम नोटिस जारी किया।
- ग. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पते के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों को जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत कराएं।
- घ. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देश के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई।
- ङ. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश से निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते के साथ इसे भेजी गई थी।
- च. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं:
 - i. मै. एफएमसी इंडस्ट्रियल केमिकल्स
 - ii. मै. सोल्वे सोडा ऐश
 - iii. मै. जनरल केमिकल्स इंडस्ट्रियल प्रॉडक्ट्स
 - iv. मै. एएनएसएसी
 - v. मै. एफएमसी कार्पोरेशन
 - vi. मै. सिनेर रिसार्सेज एलपी
 - vii. मै. सिनेर व्योमिंग एलएलसी
 - viii. मै. सिनेर रिसार्सेज कार्पोरेशन
 - ix. मै. इटी सोडा
 - x. मै. सोडा सेनवी

- xi. मै. कजन सोडा इलेक्ट्रिक
- छ. संबद्ध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:
- i. सियरलेस वैली मिनरल्स इन्क, यूएसए
 - ii. मै. टाटा केमिकल्स सोडा ऐश पार्टनर्स ("टीसीएसएपी"), प्रोज्यूसर, यूएसए
 - iii. मै. टाटा केमिकल्स इंटरनेशनल प्रा. लि. ("टीसीआईपीएल"), प्रोज्यूसर, यूएसए और इसके संबंधित उत्पादक मै. टाटा केमिकल्स लि. ("टीसीएल")
 - iv. ईटीआई सोडा यूरेटिम प्जारलामा नकलीवट वे इलेक्ट्रिक यूरेटिम सानावी वे टिकेरेट ए.एस, तुर्की
 - v. कजन सोडा इलेक्ट्रिक यूरेटिए ए.एस.टर्की
 - vi. सिनेर आईसी वे डिस टिकेरेट ए.एस.(सीआईडीटी), तुर्की
 - vii. सोडा सनावी ए.एस., तुर्की और उसके संबंधित निर्यातक सीसेकैम डिस टिशर ए.एस.
- ज. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक की प्रश्नावलियां भेजी:
- i. मै. गुजरात गार्डियन लि.
 - ii. मै. एडवांस सरफेक्टेंट इंडिया लि.
 - iii. मै. फ्लोट ग्लास इंडिया लि.
 - iv. मै. ए.आर. स्टनकेम प्रा. लि.
 - v. मै. एलेनबिक ग्लास इंडस्ट्रीज लि.
 - vi. मै. हिंद सिलिकेट्स प्रा. लि.
 - vii. मै. दीपक निटराईट लि.
 - viii. मै. टौरस केमिमल (प्रा.) लि.
 - ix. मै. हिंदुस्तान नेशनल ग्लास ऐंड इंड. लि.
 - x. मै. किशोरसंस डिटेजेंट प्रा. लि.
 - xi. मै. हिंदुस्तान यूनिलीवर लि.
 - xii. मै. जे.जे. पटेल इंडस्ट्रीज
 - xiii. मै. प्रोक्टर एंड गैम्बल हाइजिन एंड हेल्थकेयर
 - xiv. मै. श्रीराम भरत केमिक ऐंड डिटरजेंट्स प्रा. लि.
 - xv. मै. एल्ब्राइट मोरारजी ऐंड पंडित लि.
 - xvi. मै. मॉडर्न ग्लास इंडस्ट्रीज
 - xvii. मै. एडवाटेक इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
 - xviii. मै. आदर्श कंच उद्योग (प्रा.) लि.
 - xix. यू.पी. ग्लास मैन्यूफैक्चरर्स सिंडिकेट
 - xx. मै. प्रगति ग्लास प्रा. लि.
 - xxi. मै. असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड
 - xxii. मै. गोरा मलहारी राम लि.
 - xxiii. मै. फेर (प्रा.) लि.
 - xxiv. मै. रोहित सर्फेक्टेंट (प्रा.) लि.

- xxv. मै. श्री यूनिफॉर्म आर्गेनिक्स प्रा. लि.
- xxvi. मै. अस्ट्राल ग्लास प्रा. लि.
- xxvii. मै. पोलाची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री
- xxviii. मै. बीडीजे ग्लास इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
- xxix. मै. वसुंधरा रसावन लि.
- xxx. मै. श्री हरि इंडस्ट्रीज
- xxxi. मै. पावर सॉप लि.
- xxxii. मै. हिंदुस्तान नेशनल ग्लास ऐंड इंडस्ट्रीज
- xxxiii. मै. शांति नाथ डिटर्जेंट (प्रा.) लि.
- xxxiv. मै. जगतजीत इंडस्ट्रीज लि.
- xxxv. मै. एडवांस होम ऐंड पर्सनल केयर
- xxxvi. मै. एस. कुमार डिटर्जेंट्स प्रा. लि.
- xxxvii. मै. मौली एक्सपोर्ट्स

झ. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में निम्नलिखित संघों को भी सूचित किया:

- i. डिटर्जेंट मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन
- ii. इंडियन केमिकल मर्चेन्ट्स ऐंड मैन्यूफैक्चर्स
- iii. बुल्क ड्रग मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन (इंडिया)
- xxxviii. इंडियन ग्लास मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन
- xxxix. दि डाइस ऐंड कैमिकल मर्चेन्ट्स एसोसिएशन
- xl. दि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया डाइस ऐंड कैमिकल्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन

यं. प्राधिकारी ने अनुरोध किए जाने पर 20-3-2020 तक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय विस्तार दिया।

ट. निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

- मै. सेंट गोबेन इंडिया प्रा. लिमिटेड
- मै. हिन्दुस्तान यूनिलीवर लि. इंडिया
- मै. टाटा केमिकल्स लि. ("टीसीएल")

ट. प्राधिकारी ने हितवद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य/किए गए अनुरोधों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।

ठ. वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वह पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन-देनवार ब्यौरा उपलब्ध कराएं जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गया था। प्राधिकारी ने लेन-देन की उचित जांच के बाद आयातों की मात्रा की गणना और इसका विश्लेषण करने के लिए डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों पर विश्वास किया है।

ड. सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) तथा पाटनरोधी के नियमावली के अनुबंध 3 के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और उसका निर्माण करने और बिक्री करने की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया गया है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

ढ. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा स्थल पर दौरा और तालिका के अध्ययन के द्वारा आवश्यक सीमा तक किया गया था। आवश्यक संशोधनों के साथ केवल इस प्रकार की सत्यापित सूचना पर प्रारंभिक जांच परिणाम के उद्देश्य से जहां भी लागू हुआ, विचार किया गया है।

- ण. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019(9महीने) है। हालांकि क्षति की जांच की अवधि को अप्रैल, 2016- मार्च, 2017, अप्रैल 2017-मार्च, 2018, अप्रैल 208-मार्च 2019 की अवधि तथा जांच की अवधि के रूप में विचार किया गया है।
- त. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस जांच की प्रक्रिया के दौरान जिस सीमा तक साक्ष्य द्वारा समर्थन किया गया था और वर्तमान जांच के लिए संगत माना गया था, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर इस प्रारंभिक जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से माना गया है।
- थ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराएं।
- द. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान सूचना तक पहुंच दिये जाने से इंकार किया है अथवा अन्य प्रकार से आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अथवा इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रारंभिक जांच परिणामों को रिकॉर्ड किया है।
- ध. इस इस प्रारंभिक जांच परिणाम में “****” गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा वैसी मानी गई सूचना का द्योतक है।
- न संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा लिया गया विनिमय दर 1 यूएस डॉलर = 71.24 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किए गए अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार है:
- क) विचाराधीन उत्पाद डिसोडियम कार्बोनेट है जिसे लोकप्रिय रूप से केमिकल फार्मूला एनए2सीओ3 वाले सोडा ऐश के रूप में जाना जाता है। सोडा ऐश श्वेत, क्रिस्टलाइन, जल में घुलनशील सामग्री है। इसे इस याचिका में “सोडा ऐश” के रूप में उल्लेख किया गया है। सोडा ऐश का उत्पादन भारतीय उत्पादकों द्वारा – लाइट सोडा ऐश और घने सोडा ऐश दोनों रूपों में किया जाता है। इन दोनों प्रकारों में अंतर भारी घनत्व का है। इसके अलावा, सोडा ऐश या तो प्राकृतिक सोडा ऐश अथवा सिंथेटिक सोडा ऐश हो सकता है, दोनों उत्पाद आवश्यक रूप से एक जैसे हैं। वर्तमान जांच में सभी प्रकारों और रूप से सोडा ऐश को शामिल किया गया है अर्थात् प्राकृतिक माध्यम से और सिंथेटिक माध्यम से उत्पादित सोडा ऐश को शामिल किया गया है।
- ख) सोडा ऐश डिटेर्जेंट्स, साबुन, सफाई करने वाले अवयवों, सोडियम आधारित रासायनिक पदार्थों, फ्लो ग्लास, कंटेनर और स्पेशलिटी ग्लास, सिलिकेट्स और अन्य औद्योगिक रासायनिक पदार्थों के निर्माण में एक आवश्यक सामग्री है। इसका व्यापक रूप से उपयोग वस्त्र, कागज, धातु उद्योगों और डीसेलिनेशन संयंत्रों में भी किया जाता है।
- ग) सिंथेटिक सोडा ऐश का निर्माण सोल्वे, हाऊ अथवा अमोनिया सोडा की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए किया जाता है। तुर्की में प्राकृतिक सोडा ऐश की उत्पादन प्रक्रिया ट्रौना की सोल्यूशन खनन है। ट्रौना खान को सोल्यूशन खनन द्वारा सतह तक निष्कर्षण किया जाता है। यूएसए में लागू की गई एक अन्य उत्पादन प्रक्रिया कमरा और पिलर पद्धति है जहां ट्रौना का खनन किया जाता है और उसे धोकर सतह तक लाया जाता है जिसे घने सोडा ऐश में परिष्कृत किया जाना होता है।

घ) विचाराधीन उत्पाद का आयात सीमा शुल्क उप शीर्षक 2836.20 के अंतर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ड.) आवेदक द्वारा उत्पादन किए गए उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई अंतर नहीं है।

ग.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

3. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई भी अनुरोध नहीं किया गया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

4. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) डिसोडियम कार्बोनेट है जिसे लोकप्रिय रूप से केमिकल फार्मूला एनए2सीओ3 वाले सोडा ऐश के रूप में जाना जाता है। सोडा ऐश का उत्पादन दो रूपों— लाइट सोडा ऐश और घने सोडा ऐश में किया जाता है। इन दोनों प्रकारों में अंतर भारी घनत्व का है। इसका उत्पादन सिंथेटिक रूप जिसे अधुलनशील प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है और प्राकृतिक मार्ग से किया जा सकता है। वर्तमान जांच में सभी प्रकारों और रूपों के सोडा ऐश शामिल हैं।

5. सोडा ऐश का उपयोग डिटेर्जेंट्स, साबुन, सफाई करने वाले अवयवों, सोडियम आधारित रासायनिक पदार्थों, फ्लो ग्लास, कंटेनर और स्पेशलिटी ग्लास, सिलिकेट्स और अन्य औद्योगिक रासायनिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है।

6. संबद्ध वस्तु सीमा शुल्क उप-शीर्षक 2836.20 के अंतर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत किया वर्गीकरण योग्य है। हालांकि सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

7. प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों से आयात की गई वस्तुओं का समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देशों से आयात किए गए उत्पाद की तुलना वस्तुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशन, कीमता निर्धारण, वितरण और विपणन और प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। यद्यपि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए निहित विभिन्न निर्माण प्रक्रिया/प्रौद्योगिकी हैं अर्थात् तुर्की में ट्रोना का साल्यूशन खनन, यूएसए में कमरा और पिलर पदित और सिंथेटिक्स सोडा ऐश के लिए सोल्वे, हाऊ अथवा अमोनिया सोडा प्रक्रिया हैं, फिर भी अंतिम उत्पाद विनिर्देशों के मामले में तुलनीय हैं और इनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयात किए गए उत्पाद और घरेलू स्तर पर बेचे गए उत्पाद तकनीकी रूप में और वाणिज्यिक रूप में प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

8. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार के संबंध में किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार है:

क) आवेदक, मैसर्स डीसीडब्ल्यू लि., मै; आरएसपीएल और मै. जीएचसीएल भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक हैं। आवेदकों को छोड़कर संबद्ध वस्तुओं के तीन अन्य उत्पादक हैं अर्थात् मै. टाटा केमिकल्स लि.(टीसीएल), मै. निरमा लि. और मै. तूतीकोरिन एलकली केमिकल्स एंड फर्टिलायजर्स लि.(टीएसी) हैं। मै. टाटा केमिकल्स ने भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है और मै. निरमा लि. यूएसए में एक संबंधित उत्पादक है और इसने भी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है और इस प्रकार से ये पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग होने के लिए पात्र नहीं हैं।

ख) आवेदकों ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वे भारत में किसी आयातक अथवा संबद्ध देशों के किसी निर्यातक से संबंधित नहीं हैं।

- ग) आवेदक के पास कुल भारतीय उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तदनुसार, यह आवेदन आधार की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से पूरा करता है और इस प्रकार से आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) के संबंध में संबंधित उत्पाद के लिए भारत में “घरेलू उद्योग” हैं।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

9. याचिकाकर्ता अपने आप इस बात का निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि कौन से उत्पादक को नियम 2(ख) के संबंध में बाहर किया जाएगा अथवा शामिल किया जाएगा। प्राधिकारी का “घरेलू उद्योग” को परिभाषित करने का आधार निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास है।
10. याचिकाकर्ताओं ने कुल भारतीय उत्पादन में बाहर किए गए उत्पादकों के उत्पादन पर विचार करने के बाद उत्पादन के अपने हिस्से को उपलब्ध नहीं कराया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. यह आवेदन मै. डीसीडब्ल्यू लि., मै. आरएसपीएल और मै. जीएससीएल लि. द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आवेदकों ने यह सूचित किया है कि वर्तमान में भारत में विचाराधीन उत्पाद तीन अन्य उत्पादक अर्थात् मै. टाटा केमिकल्स लि.(टीसीएल), मै. निमस लि. और मै. तेतीकोरियन अलकली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.(टीएसी) हैं।
12. आवेदन प्रस्तुत करने के बाद, मै. टाटा केमिकल्स लि.(टीसीएल) और मै. निरमा लि. द्वारा इस आवेदन का समर्थन करते हुए पत्र प्रस्तुत किए गए थे। उन्होंने भारत को यूएसए में अपने सहयोगी पक्षकारों द्वारा किए गए निर्यातों का ब्यौरा भी उपलब्ध कराया है। यह देखा गया है कि टाटा केमिकल्स की सहयोगी कंपनी मै. टाटा केमिकल्स, नार्थ अमेरिका द्वारा किया गया निर्यात यूएसए से कुल आयातों की तुलना में बहुत अधिक है, इसी प्रकार से निरमा लि. की सहयोगी कंपनी अर्थात् सीयरलेस, वैली मिनरल्स इंक द्वारा किया गया निर्यात भी यूएसए से किए गए कुल निर्यातों की तुलना में बहुत अधिक है। ये दोनों यूएस कंपनियां ने प्रश्नावली का उत्तर अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण करने की मांग करते हुए प्रस्तुत किया है। यह देखा गया है कि सहयोगी पक्षकारों द्वारा किया गया निर्यात बहुत अधिक है। प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोध करते हैं और यह भी नोट करते हैं कि प्रश्नावली के उत्तर का विश्लेषण यह दर्शाता है कि इन कंपनियों द्वारा किए गए निर्यात पाटित कीमतों पर हुए हैं। इस कारण से टाटा केमिकल्स और निरमा लि. को भारत में संबद्ध वस्तुओं के अपात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है।
13. अपात्र उत्पादकों को शामिल करते हुए और उन्हें बाहर करते हुए आवेदकों के उत्पादन का निर्धारण किया गया है। यह देखा गया है कि आवेदक कंपनियों का उत्पादन दोनों स्थितियों में कुल भारतीय उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा है। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वे भारत में किसी आयातक अथवा संबद्ध देशों के किसी निर्यातक से संबंधित नहीं हैं।
14. तदनुसार, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि इस जांच के उद्देश्य से, आवेदक आधार की आवश्यकता को पूरा करता है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के संबंध में घरेलू उद्योग है।

ड. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

15. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क) तुर्की और यूएसए में संबद्ध वस्तुओं की कीमत का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए थे। हालांकि घरेलू उद्योग लेन-देन की वास्तविक कीमतों के रूप में संबद्ध वस्तुओं की कोई सूचना/कीमता का साक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया था। इस कारण से आवेदकों ने संबद्ध देशों में प्रचलित उत्पाद के उपभोग के उद्देश्य से कीमत का निर्धारण करने के लिए अप्रैल-नवंबर, 2019 के लिए एचआईएस मार्किट: ग्लोबल सोडा ऐश मासिक प्रकाशनों में प्रकाशित कीमतों पर विश्वास किया है।

- (ख) संबद्ध देशों से निर्यात कीमत का समायोजन निम्नलिखित खर्च के लिए किया गया है जो संबद्ध देश के निर्यातकों ने भारत को निर्यात करने के लिए अर्थात् समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय धुलाई, बैंक प्रभार और पोर्ट संबंधी खर्च किए हैं।
- (ग) सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है। संबद्ध देशों से इस प्रकार से निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तरों से ऊपर और बहुत अधिक हैं।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

- 16 जांच की अवधि अप्रैल, 2019 से दिसंबर 2019 है। हालांकि नवंबर, 2019 तक वर्तमान जांच शुरू करने के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में इन आंकड़ों पर विश्वास किया गया। इस संबंध में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया कि किस आधार पर इन कीमतों को तय किया गया था और एचआईएचएस मार्केट पर गोपनीयता का दावा किया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या दिसंबर, 2019 तक याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए अद्यतित आंकड़े उसी स्रोत अथवा कुछ अन्य स्रोत पर विश्वास करते हैं।
17. तुर्की और यूएसए के लिए कारखानागत निर्यात कीमत को पूर्ण रूप से कम करके बताया गया है। एचयूएल ने अपनी आयात कीमत के आधार पर कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण किया है और बाजार सूचना के अनुसार याचिकाकर्ताओं और व्यापारियों की मार्जिन द्वारा समायोजन का दावा किया गया है। निर्यात की कीमत तुर्की के लिए 220-240 यूएस डालर प्रति मी.टन और यूएसए के लिए 200-220 यूएस डालर प्रति मी.टन के बीच है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

18. धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप-नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;
- (ख) परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।
19. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी जिसमें उन्हें यह सलाह दी गई थी कि वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना उपलब्ध कराएं।
20. निम्नलिखित विदेशी उत्पादकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:
- क. सीयरलेस वैली मिनरल्स इंक, यूएसए

- क. मै. टाटा केमिकल्स सोडा ऐश पार्टनर्स ("टीसीएसएपी"), प्रोज्यूसर, यूएसए
 - ख. मै. टाटा केमिकल्स इंटरनेशनल प्रा. लि. ("टीसीआईपीएल"), प्रोज्यूसर, यूएसए
 - ग. मै. टाटा केमिकल्स लि. ("टीसीएल"), यूएसए
 - घ. ईटीआई सोडा यूरेटिम प्जारलामा नकलीवट वे इलेक्ट्रिक यूरेटिम सानावी वे टिकेरेट ए;एस, तुर्की
 - ङ. कजन सोडा इलेक्ट्रिक यूरेटिए ए.एस.टर्की
 - च. सिनेर आईसी वे डिस टिकेरेट ए.एस.(सीआईडीटी), तुर्की
 - छ. सोडा सनावी ए.एस., तुर्की
21. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध को नोट करते हैं और उन्होंने उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर के आधार पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का मूल्यांकन किया है।

यूएसए के उत्पादकों/निर्यातकों सीयरलेस वैली मिनरल्स इंक, यूएसए और टाटा केमिकल्स सोडा ऐश पार्टनर्स ("टीसीएसएपी") के लिए सामान्य मूल्य और कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण

ड. 3.1. सामान्य मूल्य का निर्धारण

22. सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में उत्पादन की लागत और एसजीए खर्च के संदर्भ में लाभ अर्जित करने वाली घरेलू बिक्री संबंधी लेन-देन का निर्धारण करने के लिए व्यापार जांच की सामान्य प्रक्रिया की है। जहां लाभ अर्जित करने वाली लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक है वहां प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी प्रकार के लेन-देन पर विचार किया और यदि लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से कम है तब केवल लाभ पर घरेलू बिक्री सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जाता है।

सीयरलेस वैली मिनरल्स इंक, यूएसए

23. सीयरलेस वैली मिनरल्स इंक द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर से, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की सीधी बिक्री की है।
24. इसके अलावा यह देखा गया है कि कंपनी ने घरेलू और भारतीय बाजार में इस सामग्री की बिक्री प्रत्यक्ष रूप से और सहयोगी कंपनियों के माध्यम से दोनों तरीके से किया है। हालांकि निर्यातक ने यह दर्शाने के लिए कोई औचित्य और साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि किस प्रकार से सहयोगी पक्षकारों को ये बिक्री व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में है। इस पर विचार करते हुए कि निर्यातक ने यह सिद्ध नहीं किया है कि किस प्रकार से सहयोगी कंपनियों को बिक्री व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में की गई है, प्राधिकारी ने अपनी सहयोगी कंपनी को इस कंपनी द्वारा आगे के निर्धारण के लंबित रहने तक अनंतिम रूप से किया है। उपर्युक्त के अध्यक्षीन प्राधिकारी ने यूएसए से दोनों उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रश्नावली के उत्तर पर विचार किया है और उसे लिया है। व्यापार की जांच की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर, असंबंधित ग्राहकों को लाभ पर घरेलू बिक्री सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उन मामलों में लिया गया है जहां लाभप्रद बिक्री 80 प्रतिशत से कम थी। जहां कहीं भी लाभ पर बिक्री 80 प्रतिशत से अधिक थी, सामान्य मूल्य का निर्धारण कुल घरेलू बिक्री के आधार पर किया गया है। कीमत समायोजनों की अनुमति जैसा कि दावा किया गया है अगले निर्धारण के लंबित रहने तक दी गई है। तदनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण कारखानागत स्तर पर ***डॉलर/मी.टन के रूप में किया गया है।

मै. टाटा केमिकल्स सोडा ऐश पार्टनर्स ("टीसीएसएपी"), उत्पादक, मै. टाटा केमिकल्स इंटरनेशनल प्रा. लि. ("टीसीआईपीएल") और मै. टाटा केमिकल्स लि. ("टीसीएल")

25. उत्पादक/निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान अपने घरेलू बाजार में ***मी.टन संबद्ध वस्तु बेची है जिसमें असहयोगी ग्राहकों को ***मी.टन और सहयोगी ग्राहकों ***मी.टन तथा एएलसीएडी, भागीदार, एक संबंधित

व्यापारी (जो इसे आगे अंतिम ग्राहकों/प्रयोक्ताओं को बेचता है) ***मी.टन शामिल है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि स्वतंत्र और संबंधित कंपनियों को प्रारंभिक जांच परिणाम के उद्देश्य से कीमत में बढ़ने योग्य अंतर है और यह कि निर्यातक ने यह सिद्ध नहीं किया है कि व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में घरेलू बाजार में संबंधित क्रेता को बिक्री की गई है, प्राधिकारी केवल स्वतंत्र ग्राहकों को बिक्री पर विचार करने का प्रस्ताव करते हैं। बहुत अधिक और ओसीटी जांच करने के बाद “सामान्य मूल्य” *** डॉलर/मी.टन होता है।

यूएसए से अन्य सभी उत्पादक/निर्यातक

26. यूएसए के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों जिन्हें असहयोगी माना जाता है, के संबंध में प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। यूएसए के उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर पर इस उद्देश्य से विचार किया गया है। घरेलू बाजार में सबसे अधिक सामान्य मूल्य लिया गया है।

ड.3.2 निर्यात कीमत

सीयरलेस वैली मिनरल्स इंक, यूएसए

27. सीयरलेस वैली मिनरल्स इंक, यूएसए द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सीयरलेस वैली मिनरल्स इंक संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक और निर्यातक है। जांच की अवधि के दौरान, सीयरलेस वैली मिनरल्स इंक, यूएसए ने भारत को सीधे *** मी.टन की सीमा तक संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। समुद्री भाड़े, ऋण लागत, रखरखाव खर्च, कमीशन, बीमा, विदेशी भाड़ा और विदेशी मुद्रा की हानि के प्रति समायोजनों का दावा उत्पादक/निर्यातक द्वारा किया गया है। समुद्री भाड़े, ऋण लागत, रखरखाव खर्च, कमीशन, बीमा, विदेशी भाड़ा के प्रति समायोजन की अनुमति प्राधिकारी द्वारा दी गई है। तदनुसार भारत को निर्यातों के लिए निर्धारित निबल निर्यात कीमत का निर्धारण यूएस डा.*** प्रति मी.टन के रूप में किया गया है। पहुंच मूल्य की गणना डा.*** प्रति मी.टन के रूप में की गई है।

मै. टाटा केमिकल्स सोडा ऐश पार्टनर्स (“टीसीएसएपी”), उत्पादक, मै. टाटा केमिकल्स इंटरनेशनल प्रा. लि. (“टीसीआईपीएल”) और मै. टाटा केमिकल्स लि. (“टीसीएल”)

28. मै. टाटा केमिकल्स सोडा ऐश पार्टनर्स (“टीसीएसएपी”), यूएसए, उत्पादक ने ***मी.टन का निर्यात किया है जिसमें मै. टाटा केमिकल्स इंटरनेशनल प्रा. लि. (“टीसीआईपीएल”), सिंगापुर को अपने संबंधित निर्यातक के माध्यम से भारत को ***मी.टन शामिल है और उसके साथ ही जांच की अवधि के दौरान भारत में मै. टाटा केमिकल्स लि. (टीसीएल) एक संबंधित आयातक को प्रत्यक्ष रूप से ***मी.टन भी शामिल है। जांच की अवधि में भारत को संबद्ध वस्तुओं के *** डा. प्रति मी.टन की कारखानागत निर्यात कीमत पर विचार भाड़ा एवं डिलीवरी शुल्क पर समायोजनों पर विचार करने के बाद किया गया है। पहुंच मूल्य का मूल्यांकन ***डालर/मी.टन के रूप में किया गया है।

यूएसए से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

29. प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यूएसए के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है जिसके लिए यूएसए के उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रश्नावली के उत्तर पर विचार किया गया है। भारत को निर्यात के लिए सबसे कम बिक्री कीमत पर विचार किया गया है।

तुर्की के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण

ईटीआई सोडा यूरेटिम पाजरलामा नकलीयत वे इलेक्ट्रिक यूरेटिम सानावी वे टिकेरेट ए.एस और काजन सोडा इलेक्ट्रिक यूरेटिम ए.एस.- फाइनर ग्रुप

क) ईटीआई सोडा यूरेटिम पाजरलामा नकलीयत वे इलेक्ट्रिक यूरेटिम सानावी वे टिकरेट ए.एस.(संक्षेप मी ईटीआई सोडा)

30. उत्पादक साइनर ग्रुप ऑफ कंपनीज से है और वह प्राकृतिक सोडा ऐश का उत्पादन करता है तथा इसने केवल डेंस सोडा ऐश का उत्पादन और बिक्री की है जैसा कि कंपनी द्वारा दावा किया गया है। ईटीआई सोडा ने जांच की अवधि के दौरान पीयूसी के ***मी.टन का उत्पादन किया है। कंपनी ने स्वतंत्र ग्राहकों को प्रत्यक्ष तौर पर पीयूसी का ***मी.टन की बिक्री की है और घरेलू बाजार में अपनी संबंधित कंपनियों को ***मी.टन की बिक्री की है। संबंधित कंपनियों में से, केवल एक संबंधित कंपनी अर्थात् साइनर आईसी वे डिस टिकारेट ए.एस.(सीआईडीटी) ने घरेलू बाजार में स्वतंत्र ग्राहकों को पीयूसी का ***मी.टन बेचा था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित और असंबंधित कंपनियों को घरेलू बिक्री कीमत के बीच अंतर है और यह कि निर्यातक ने यह सिद्ध नहीं किया है कि घरेलू बाजार में संबंधित क्रेता को बिक्री व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में की गई है। इस कारण से प्रारंभिक जांच परिणाम के उद्देश्य से, सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए, स्वतंत्र ग्राहकों को ईटीआई की सीधी बिक्री (***मी.टन) पर ही विचार किया जाता है।
31. ईटीआई सोडा सीआईडीटी द्वारा प्रस्तुत की गई निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तरों की जांच की गई है। ईटीआई सोडा द्वारा अपने घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की अनुमति देने के लिए प्रतिनिधिक और अर्थक्षम है। व्यापार की जांच की सामान्य प्रक्रिया घरेलू बिक्री के लेन-देनवार आंकड़ों और ईटीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए लागत संबंधी आंकड़ों पर भी किया जाता है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य जांच की अवधि के लिए यूएस डा. ***मी.टन है।

ख) काजन सोडा इलेक्ट्रिक यूरेटि ए.एस.(संक्षेप में काजन)

32. उपर्युक्त उत्पादक साइनर ग्रुप ऑफ कंपनीज से भी है और यह प्राकृतिक सोडा ऐश का उत्पादन करता है तथा इसने केवल सोडा ऐश डेंस का उत्पादन और बिक्री की थी जैसा कि कंपनी द्वारा दावा किया गया है। काजन सोडा इलेक्ट्रिक यूरेटिम ए.एस. ने जांच की अवधि के दौरान ***मी.टन पीयूसी का उत्पादन किया था। कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र ग्राहकों को घरेलू बाजार में ***मी.टन पीयूसी की बिक्री की थी। कंपनी ने अपनी संबंधित कंपनियों को घरेलू बाजार में ***मी.टन पीयूसी की भी बिक्री की थी जिसमें से इसकी संबंधित कंपनियों में से एक कंपनी अर्थात् साइनर आईसी वे डिस टिकारेट ए.एस.(सीआईडीटी) ने घरेलू बाजार में स्वतंत्र ग्राहकों को ***मी.टन की बिक्री की थी। सामान्य मूल्य के उद्देश्य से काजन की स्वतंत्र ग्राहकों को सीधी बिक्री (***मी.टन) को ही इस तथ्य को देखते हुए विचार किया गया है कि संबंधित और असंबंधित को उत्पादक की बिक्री कीमत में बढ़ने योग्य अंतर है और यह कि निर्यातक ने यह सिद्ध नहीं किया है कि यह बिक्री व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में घरेलू बाजार में संबंधित क्रेता को की गई है।
33. काजन और सीआईडीटी द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तरों की जांच की गई है। ईटीआई सोडा द्वारा अपने घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की अनुमति देने के लिए प्रतिनिधिक और अर्थक्षम है। व्यापार की जांच की सामान्य प्रक्रिया को भी लेन-देनवार घरेलू बिक्री आंकड़ों तथा ईटीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए लागत संबंधी आंकड़ों पर किया जाता है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य जांच की अवधि के लिए यूएस डा. ***मी.टन है।

ग) सोडा सानावी ए.एस.- दि सिसेकामग्रुप

34. उत्पादक सिसेकामग्रुप ऑफ कंपनी से है और यह सिंथेटिक सोडपा ऐश का उत्पादन करता है और इसने सोडा ऐश डेंस और सोडा ऐश लाइट दोनों का उत्पादन और बिक्री की थी। सोडा सानाई जांच की अवधि के दौरान ***मी.टन पीयूसी का उत्पादन किया है। कंपनी ने प्रत्यक्ष तौर पर स्वतंत्र ग्राहकों को घरेलू बाजार में पीयूसी का ***मी.टन और संबंधित कंपनियों जिन्होंने बिना किसी पुनः बिक्री के कच्चे माल के रूप में इसकी खपत की थी, को घरेलू बाजार में ***मी.टन पीयूसी की बिक्री की है। यह भी नोट किया जाता है कि कंपनी ने बुल्गारिया और बोसनिया अपनी संबंधित कंपनी से ***मी.टन सोडा ऐश का आयात किया था और इस प्रकार से आयात

की गई मात्रा को भी ***मी.टन की कुल घरेलू बिक्री में शामिल किया गया है। कंपनी ने दावा किया कि चूंकि ये सामग्री तुर्की के मूल के नहीं हैं अतः सामान्य मूल्य को आयात की गई सामग्री की बिक्री पर विचार किए बिना अपने निजी निर्मित वस्तुओं के आधार पर गणना किए जाने की आवश्यकता है। कंपनी ने आगे यह दावा किया है कि चूंकि कि उन्होंने भारत को केवल सोडा ऐश डेंस की बिक्री की थी अतः घरेलू बाजार में केवल सोडा ऐश डेंस की बिक्री पर विचार सामान्य मूल्य की गणना के लिए किए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादक ने डेंस और लाइट दोनों ग्रेडों के लिए केवल एक लागत का दावा किया है जिसमें आयात किए गए सोडा ऐश और फिर घरेलू बाजार में बेचा गया सोडा ऐश शामिल है। इस विश्लेषण को तब केवल सोडा ऐश तक ही सीमित रखने के लिए कोई साक्ष्य और औचित्य नहीं है जब निर्यातक ने परिशिष्ट 8 में डेंस, लाइट और आयात की गई वस्तुओं के लिए एक समेकित लागत को स्वयं उपलब्ध कराया है। इस कारण से सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, दोनों ग्रेडों अर्थात् सोडा ऐश, डेंस और लाइट(***मी.टन) जिसमें आयात की गई सामग्री भी शामिल है, के स्वतंत्र ग्राहकों को बेची गई संबद्ध वस्तुओं की प्रत्यक्ष बिक्री पर विचार किया गया।

35. कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तरों की जांच की गई है। उत्पादक द्वारा अपने घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री, अपने घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की अनुमति देने के लिए प्रतिनिधक और अर्थक्षम है। व्यापार की जांच की सामान्य प्रक्रिया उत्पादक द्वारा लेन-देनवार घरेलू कीमत संबंधी आंकड़ों और लागत आंकड़ों पर भी किया जाता है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य जांच की अवधि के लिए यूएस डा. ***प्रति मी.टन है।

निर्यात कीमत

ईटीआई सोडा यूरेटिम पाजरलामा नकलीयत वे इलेक्ट्रिक यूरेटिम सानावी वे टिकेरेट ए.एस और काजन सोडा इलेक्ट्रिक यूरेटिम ए.एस.- दि साइनर ग्रुप

क) ईटीआई सोडा यूरेटिम पाजरलामा नकलीयत वे इलेक्ट्रिक यूरेटिम सानावी वे टिकेरेट ए.एस

36. प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप से भारत को ***मी.टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया था। ये सभी बिक्री एफओबी शर्तों पर किए गए थे। कंपनी ने अंतरदेशीय भाड़ा और पोर्ट हैंडलिंग खर्च के कारण समायोजन प्रस्तुत किए हैं और उसे कारखानागत निर्यात कीमत तय करने के लिए स्वीकार कर लिया गया है। कंपनी के लिए इस प्रकार से निर्धारित निवल निर्यात कीमत जांच की अवधि के लिए यूएसडालर***प्रति मी.टन होता है। पहुंच मूल्य की गणना जांच की अवधि के लिए ***यूएसडालर/मी.टन के रूप में की गई है।

ख) काजन सोडा इलेक्ट्रिक यूरेटिम ए.एस

37. कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान सीआईडीटी के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का ***मी.टन निर्यात किया था। अ कंपनी ने अंतरदेशीय भाड़ा और पोर्ट हैंडलिंग खर्च के कारण समायोजन प्रस्तुत किए हैं और उसे कारखानागत निर्यात कीमत तय करने के लिए स्वीकार कर लिया गया है। कंपनी के लिए इस प्रकार से निर्धारित निवल निर्यात कीमत जांच की अवधि के लिए यूएसडालर***प्रति मी.टन होता है। पहुंच मूल्य की गणना जांच की अवधि के लिए ***यूएसडालर/मी.टन के रूप में की गई है। प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम के उद्देश्य संबंधित कंपनी के माध्यम से बिक्री पर विचार नहीं किया है।

ग) सोडा सानाई ए.एस.

38. कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान अपने संबंधित निर्यातक अर्थात् सिसेकम डिस टिकारेट ए.एस. जिन्होंने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर भी प्रस्तुत किया है, के माध्यम से ***मी.टन और प्रत्यक्ष रूप तौर पर भारत को संबद्ध वस्तुओं का ***मी.टन वस्तुओं का निर्यात किया था। कंपनी ने अंतरदेशीय भाड़ा, पोर्ट हैंडलिंग खर्च, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन (संबंधित पक्षकार के माध्यम से बिक्री के मामले में) के कारण समायोजन प्रस्तुत किए हैं और उसे कारखानागत निर्यात कीमत तय करने के लिए स्वीकार कर लिया गया है जो जांच की

अवधि के लिए यूएसडालर***/मी.टन होता है। पहुंच मूल्य की गणना जांच की अवधि के लिए ***यूएसडालर/मी.टन के रूप में की गई है।

ड.3.3. पाटन मार्जिन

39. ऊपर में दिए गए अनुसार सामान्य मूल्य और यथानिर्धारित निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए जांच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है।

क्र.सं.	उत्पादक कंपनी का नाम	सामान्य मूल्य (अम.डा./एमटी)	निबल निर्यात कीमत (अम.डा./एमटी)	पाटन मार्जिन (अम.डा./एमटी)	पाटन मार्जिन (%)
क	तुर्की				
1	कोईटीआई सोडा यूरेटिम पजारलामा नकलीवट वे इलेक्ट्रिक यूरेटिम सानाई वे टिकैरेट ए.एस.				10-20
	ख)काजन सोडा इलेक्ट्रिक यूरेटिम ए.एस.				20-30
	साइनर ग्रुप की भारित औसत				10-20
2	सोडा सनावी ए.एस.				0-10
3	कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक				10-20
ख.	यूएसए				
4	सीयरलेस बैली मिनरल्स इंक				20-30
5	टाटा केमिकल्स सोडा ऐश पार्टनर्स ("टीसीएसएपी")				20-30
6	कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक				30-40

40. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन बहुत अधिक है और यह संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से किए गए निर्यातों के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं से अधिक है।

च. क्षति का आंकलन और कारणात्मक संबंध

च.1. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

41. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध निम्नानुसार है:

- क) विचाराधीन उत्पाद की बिक्री दो रूपों अर्थात लाइट और डेंस में की जाती है। आयात अधिकांश रूप में डेंस रूप में होता है जिसका प्रमुख रूप से उपयोग ग्लास क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से घरेलू उद्योग पर आयातों का प्रतिकूल प्रभाव ग्लास निर्माण क्षेत्र में देखा जाएगा।
- ख) संबद्ध वस्तुओं की मांग/स्पष्ट खपत में जांच की प्रस्तावित अवधि के दौरान वृद्धि हुई।
- ग) संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में स्वतंत्र रूप और सापेक्ष दोनों रूपों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। शुल्क को समाप्त किए जाने के बाद, संबद्ध देशों से आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से

- आयातों में आधार वर्ष से लेकर जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। उत्पादन और खपत (कैप्टिव को छोड़कर) की तुलना में आयातों में भी बहुत अधिक सीमा तक वृद्धि हुई है।
- घ) संबद्ध देशों, यूरोपियन यूनियन, कीनिया और अन्य प्रमुख देशों तथा शेष देशों की क्षति की अवधि के दौरान कीमतों का बढ़ना यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से पहुंच कीमत कीनिया और यूरोपियन यूनियन सहित अन्य सभी प्रमुख देशों से अब कम हैं।
- ङ.) संबद्ध देशों से आयात की कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से बहुत कम रही हैं और इसके फलस्वरूप कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है। भाड़ा और छूट को बाहर करने के बाद निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) के आधार पर कीमत में कटौती का निर्धारण आवेदन के प्रोफार्मा, व्यापार की वास्तविकता के अनुरूप और कीमत में कटौती का निर्धारण करने के उद्देश्य से है। कीमत में कटौती का निर्धारण बिक्री कीमत के आधार पर और न कि एनएसआर के आधार पर किया जाना चाहिए।
- च) बिक्री की लागत और बिक्री की कीमत में वृद्धि के बावजूद, बिक्री की कीमत में वृद्धि पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने तक बिक्री की लागत में वृद्धि की तुलना में पहले बहुत अधिक थी। हालांकि, हाल की अवधि में कीमतों में तेजी से गिरावट आ रही है। आवेदक कंपनियों में से एक कंपनी की कीमत सूची यह दर्शाती है कि सूची कीमतों में भी बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है।
- छ) चूंकि बहुत कम समय अवधि में आयातों में वृद्धि हुई है अतः तिमाही विश्लेषण किया गया है। बिक्री की लागत में वृद्धि हुई है और बिक्री की कीमत 2019-20 की पहली तिमाही से घट रही है। बिक्री की लागत में वृद्धि की दर पहुंच कीमत में वृद्धि की दर से बहुत अधिक है। संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के स्तर से कम है। इस प्रकार से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनकारी और हासकारी प्रभाव पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ रहा है। आयात अधिकांश रूप में डेंस रूप में किया जाता है और इस प्रकार से आयात डेंस सोडा ऐश के उपभोक्ता क्षेत्र अर्थात् ग्लास निर्माण उद्योग में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा कर रहा है।
- ज) घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में मांग में वृद्धि और बढ़ी हुई क्षमता के साथ क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है। हालांकि, घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री उससे कम है जो पाटित आयातों जिसमें बहुत हद तक वृद्धि हुई है, के न होने पर इसका हो सकता था। तिमाही वृद्धि यह दर्शाती है कि मांग में वृद्धि के बावजूद, घरेलू बिक्री में कमी आई है। मांग में वृद्धि के बावजूद मालसूची में वृद्धि हुई है।
- झ) संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में जांच की अवधि में आधार वर्ष से बहुत अधिक वृद्धि अर्थात् 254 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। हालांकि घरेलू उद्योग के हिस्से में वृद्धि हुई है, घरेलू उत्पादकों के हिस्से में समग्र रूप से गिरावट आई।
- ट) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में 2018-19 तक सुधार हुआ और जांच की प्रस्तावित अवधि में इसमें गिरावट आई। आवेदकों ने यह अनुरोध किया कि चूंकि ग्लास क्षेत्र में आयातों का अधिकांश रूप में उपयोग किया जाता है अतः घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गैर-ग्लास क्षेत्र की तुलना में ग्लास में अधिक गिरावट आई है।
- ठ) निवेश पर लाभ (आरओआई) में क्षति की अवधि के दौरान प्रगामी रूप से वृद्धि हुई है। बढ़ती हुई मांग के परिदृश्य में, मालभंडार में वृद्धि हुई है, हालांकि यह केवल घरेलू उद्योग के साथ नहीं बढ़ा है बल्कि अन्य घरेलू उत्पादकों के मामले में भी बढ़ा है।
- ड) क्षमता में वृद्धि पर विचार करते हुए कर्मचारियों की संख्या और मजदूरी में भी वृद्धि हुई है। हालांकि आवेदकों ने यह अनुरोध किया कि वह संबद्ध वस्तुओं के कार्य-निष्पादन पर ही निर्भर नहीं हैं बल्कि उसे देश की विधायी अपेक्षाओं और उद्योग की व्यापार संबंधी विभिन्न बाध्यताओं द्वारा भी शासित किया जाता है।
- ढ) घरेलू उद्योग का विकास उत्पादन, घरेलू बिक्री के मामले में सकारात्मक थी। हालांकि मालसूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर लाभ के मामले में वृद्धि जांच की अवधि में नकारात्मक थी।

च.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

42. आयातों की मात्रा में सापेक्ष रूप में बहुत कम वृद्धि हुई है। बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और बिक्री की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के दौरान क्षमता के उपयोग पर प्रभाव घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता में हाल में वृद्धि के कारण हुआ है जैसा कि कैप्टिव खपत में वृद्धि से भी देखा जा सकता है।
43. बाहरी भाड़ा को निवल बिक्री प्राप्ति में शामिल किया गया है जो नियम के विरुद्ध है। यदि प्राधिकारी ग्राहक के कारखाना गेट पर बिक्री कीमत पर विचार करने का विकल्प चुनते हैं तब पहुंच कीमत का समायोजन भी उपयुक्त रूप से इन कीमतों के बीच निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए।
44. बिक्री कीमत में वृद्धि तब भी इन लागतों की तुलना में कम है जब पहुंच कीमत में वृद्धि बिक्री की लागत से अधिक हो। इस प्रकार से कीमत में कथित कटौती का प्रभाव बिक्री कीमत पर नहीं पड़ा है और इस प्रकार से कीमत न्यूनीकरण/ह्रास नहीं हो रहा है।
45. कथित क्षति के मार्जिन के आधार पर एनआईपी 22,048 भारतीय रुपए प्रति मी.टन से 22,741 भारतीय रुपए प्रति मी.टन के दायरे में है। एचयूएल की आयात कीमत प्रस्तुत की गई प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार इससे बहुत अधिक है।
46. राजस्व और ब्याज तथा कर पूर्व आय – घरेलू बिक्री में पिछले कुछ वर्षों के दौरान बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है जिसे याचिकाकर्ता कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टों से भी देखा गया है।
47. क्षति, यदि कोई हो स्वयं के कारण और याचिकाकर्ता द्वारा ऋण लेने, निवेश, क्षमता में वृद्धि और अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलाप जैसे कारकों के द्वारा हुई है जो वार्षिक रिपोर्ट से स्पष्ट है।
48. देश में कुल मांग के 20 प्रतिशत से अधिक को आयातित सामग्री से पूरा किया जाना अपेक्षित है। इसके लिए, जनवरी, 2020 के हाल के आईएचएस प्रकाशन से पुष्टि की जा सकती है। इस प्रकार, किसी मात्रात्मक प्रभाव के लिए आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
49. कटौती को पीओआई सहित क्षति अवधि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए और वह कथित कीमत कटौती और कथित क्षति के बीच किसी कारणात्मक संबंध के निर्धारण हेतु संगत होगी।
50. वास्तविक क्षति का कोई खतरा नहीं है। यू.एस.ए. और तुर्की से भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यात का प्रतिशत हिस्सा मामूली है। अन्य देशों में तुर्की से निर्यात कीमतें दर्शाती हैं कि तुर्की से भारत को निर्यात कीमत वास्तव में उच्चतर है। संबद्ध वस्तु की मालसूची का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

51. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है और संगत पाटनरोधी नियमावली और अनुबंध-3 के अनुसार किए गए अनुरोधों पर विधिवत रूप से विचार करने के बाद विभिन्न मापदंडों की जांच की है।

संचयी आकलन

52. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (iii) में यह उपबंध है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात के साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि:-
 - (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत (या अधिक) से कम है वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयात के साथ सबसे अधिक बनता है; तथा
 - (ख) आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है।

53. प्राधिकारी नोट करते हैं कि :

- (क) संबद्ध वस्तु का संबद्ध देशों से भारत में पाटन किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमावली के अंतर्गत विहित निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- (ख) प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा आयातों की कुल मात्रा के अलग-अलग रूप में 3 प्रतिशत से अधिक है।
- (ग) आयातों का संचयी आकलन उचित है। संबद्ध देशों से निर्यात न केवल प्रत्यक्ष रूप से परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।
54. उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों का संचयी रूप से क्षति संबंधी आकलन करना उचित है।
55. अनुबंध 2 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में उपबंध है कि क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति का पता लगता हो, इसमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तु के घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार किया जाएगा।
56. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात की जांच करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में अत्यधिक कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए उद्योग की दशा पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा मार्जिन आदि पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 के अनुसार विचार किया गया है।
57. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए उन अनुरोधों जिन्हें प्राधिकारी ने संगत समझा है, की निम्नानुसार जांच और समाधान किया गया है:-

च.4 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

(क) मांग और स्पष्ट खपत का आकलन

58. भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और समस्त स्रोतों से आयातों के योग के रूप में निर्धारित किया गया है। यह देखा गया है कि इस प्रकार, आकलित मांग में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति रही है।

मांग	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	8,15,013	9,28,870	9,66,628	8,55,676	11,40,902
अन्य भारतीय उद्योगों की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***	***
संबद्ध देश- आयात	मी.ट.	1,41,096	2,41,324	3,30,506	4,12,910	5,50,546
3% से अधिक हिस्से वाले अन्य देश	मी.ट.	5,47,764	5,31,297	5,06,488	2,77,320	3,69,760
मांग/खपत	मी.ट.	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	109	115	89	119

(ख) संबद्ध देशों से आयात मात्राएं

59. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या संबद्ध देशों से पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। वास्तविक स्थिति निम्नानुसार है :

आयात मात्रा	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
संबद्ध देश	मी.ट.	141,096	241,324	330,506	412,910	550,546
सूचीबद्ध		100	171	234	293	390
संबद्ध देश –टर्की	मी.ट.	15,190	92,251	209,998	178,956	238,607
संबद्ध देश –यूएसए	मी.ट.	125,906	149,073	120,508	233,954	311,939
3% से अधिक हिस्से वाले देश	मी.ट.	380,814	403,379	385,423	226,974	302,633
अन्य देश	मी.ट.	166,950	127,919	121,065	50,346	67,128
कुल	मी.ट.	688,860	772,622	836,994	690,230	920,306

60. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों में पीओआई में भारी वृद्धि के साथ क्षति अवधि के दौरान अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह देखा गया है कि पी ओ आई में आयातों में आधार वर्ष की तुलना में 290 प्रतिशत की और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 156 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने बताया है कि पाटनरोधी शुल्क, जिसे संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पूर्व में लगाया गया था, की समाप्ति के बाद आयातों में भारी वृद्धि हुई है।

(ग) सापेक्ष रूप से संबद्ध देशों से आयात

61. यह देखा गया है कि उत्पादन और खपत के संबंध में पाटित आयातों में आधार वर्ष में 5.40 प्रतिशत और 4.53 प्रतिशत से पीओआई में क्रमशः 17.41 प्रतिशत और 14.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन और मांग की दृष्टि से आयातों में क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है। आयातों के संबंध में संबद्ध देशों से आयात आधार वर्ष में 20 प्रतिशत से बढ़कर पीओआई में लगभग 60 प्रतिशत हो गए हैं।

	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
उत्पादन	%	5.40	8.20	10.87	17.41	17.41
खपत	%	4.53	7.14	9.24	14.89	14.89
सकल आयात	%	20.48	31.23	39.49	59.82	59.82

च.5 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

62. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में अत्यधिक कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच, कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति, बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत, एनआईपी, की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

(क) कीमत कटौती

63. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। घरेलू उद्योग ने यह दलील दी है कि परिवहन लागत संबद्ध वस्तु के उत्पादन के

मामले में लागत का एक बड़ा हिस्सा होती है क्योंकि (क) घरेलू उद्योग गुजरात राज्य में स्थित है और बिक्रियां पूरे भारत में की जाती हैं और (ख) उत्पाद की कीमत को देखते हुए उपभोक्ताओं की खरीद लागत में मालभाड़ा लागत एक बड़ा हिस्सा होती है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना परिवहन लागत जोड़ने के बाद ही आयात की पहुंच कीमत से की जानी चाहिए। यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तु तुलनात्मक रूप से कम कीमत वाला उत्पाद है। इस प्रकार, प्रति एम.टी. परिवहन लागत उत्पाद की बिक्री कीमत की तुलना के समय काफी अधिक है और उससे कीमत तुलनीयता के प्रभावित होने की संभावना है। प्राधिकारी ने इस दावे पर विचार करते हुए माल भाड़ा जोड़कर और मालभाड़ा हटाकर दोनों तरह से कीमत कटौती निर्धारित की है। तथापि, इस स्तर पर आगे जांच होने तक प्राधिकारी ने मालभाड़ा जोड़े बिना कीमत कटौती पर विचार किया है।

माल भाड़ा के बिना कीमत कटौती

विवरण	इकाई	यूएसए	टर्की
पहुंच मूल्य	रु. /मी.ट.	19,172	18,192
भाड़ा रहित निवल बिक्री प्राप्ति	रु. /मी.ट.	***	***
कीमत कटौती	रु. /मी.ट.	***	***
कीमत कटौती	%	0-10	10-20

64. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम रही है। इस प्रकार, घरेलू कीमतों में कटौती हुई है।

(ख) कीमत ह्रास तथा न्यूनीकरण

65. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास या न्यूनीकरण कर रहे हैं, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की तुलना की गई है। वास्तविक स्थिति निम्नानुसार है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
बिक्री की लागत	रु. /मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	103	110	120
बिक्री कीमत	रु. /मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	101	111	111
आयातों का पहुंच मूल्य—यूएसए	रु. /मी.ट.	14,185	13,805	18,067	19,172
सूचीबद्ध		100	97	127	135
आयातों की पहुंच कीमत-टर्की	रु. /मी.ट.	15,538	14,539	16,270	18,192
सूचीबद्ध		100	94	105	117
आयातों की पहुंच कीमत—कुल	रु. /मी.ट.	14,331	14,086	16,925	18,747
सूचीबद्ध		100	98	118	131

66. यह देखा गया है कि बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, यद्यपि, बिक्री लागत में पीओआई में वृद्धि जारी रही है। तथापि, बिक्री कीमत में वृद्धि बिल्कुल मामूली है। यद्यपि, पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई में बिक्री लागत 10 मूल बिन्दु तक बढ़ी है तथापि, बिक्री कीमत लगभग स्थिर रही थी। इसी के साथ, संबद्ध देशों से आयातों में पीओआई में भारी वृद्धि हुई। इस प्रकार, यह देखा गया है कि पीओआई में आयातों में वृद्धि से घरेलू उद्योग बिक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप कीमतों में वृद्धि करने में असमर्थ रहा है।

च.6 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

67. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। पाटनरोधी नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। प्राधिकारी ने विभिन्न तथ्यों और किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए क्षति संबंधी मापदंडों की तथ्यपरक जांच की है।

(क) उत्पादन, क्षमता, बिक्री तथा क्षमता उपयोग

68. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री तथा क्षमता उपयोग निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई(ए)
क्षमता	मी.ट.	9,47,096	10,58,500	11,24,750	11,44,500	15,26,000
सूचीबद्ध		100	112	119	161	161
उत्पादन	मी.ट.	8,78,326	10,19,514	10,71,986	9,37,514	12,50,019
सूचीबद्ध		100	116	122	142	142
क्षमता उपयोग	%	93%	96%	95%	82%	82%
सूचीबद्ध		100	104	103	88	88
घरेलू बिक्री	मी.ट.	8,15,013	9,28,870	9,66,628	8,55,676	11,40,902
सूचीबद्ध		100	114	119	140	140

69. यह देखा गया है कि

- क. घरेलू उद्योग ने क्षमता में वृद्धि की है। आरएसपीएल ने 500,000 मी.ट. के संयंत्र के साथ पीओआई में उत्पादन शुरू किया है जबकि जीएचसीएल ने 2018-19 में क्षमता में वृद्धि की है। उत्पाद की मांग में विगत वर्षों में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि घरेलू उत्पादकों ने संबद्ध वस्तु की भारी मांग को देखते हुए क्षमताओं में वृद्धि की है।
- ख. मांग और क्षमता में वृद्धि के मद्देनजर क्षति अवधि के दौरान उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है।
- ग. घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में पीओआई में गिरावट आई है तथापि, ऐसा मै. आरएसपीएल द्वारा नई क्षमता जोड़ने के कारण भी हो सकता है।

(ख) लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

70. क्षति अवधि के दौरान घरेलू की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे तालिका में दिए गए हैं :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (ए)
बिक्री की लागत	रु./मी.ट.	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	103	110	120	120
बिक्री कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	101	111	111	111
लाभ/(हानि) प्रति इकाई	रु./मी.ट.	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	98	112	88	88

लाभ/(हानि) – कुल	लाख रुपए	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	111	133	124	124
ब्याज एवं कर पूर्व लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	108	128	136	136
ब्याज एवं कर पूर्व लाभ	रु./मी.ट.	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	95	108	97	97
नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	112	133	137	137
प्रति इकाई नकद लाभ	रु./मी.ट.	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	98	112	98	98
निवेश पर आय –एनएफए	%	40-50	30-40	20-30	10-20	10-20
सूचीबद्ध		100	74	51	40	40

71. यह देखा गया कि :

- क. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में 2018-19 तक सुधार हुआ है और उसके बाद संबद्ध देशों से आयातों में भारी वृद्धि और इस अवधि में घरेलू उद्योग के सामने कीमत न्यूनीकरण के कारण पीओआई में गिरावट आई है।
- ख. यद्यपि, सकल नकद लाभ और ब्याज पूर्व लाभ में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, तथापि, यह देखा गया है कि प्रति इकाई नकद लाभ और ब्याज पूर्व लाभ में गिरावट आई है।
- ग. क्षति अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर आय में उत्तरोत्तर गिरावट आई है और वह पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 2018-19 और पीओआई में काफी अधिक कम हुआ है।

72. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि जांच अवधि के दौरान लाभप्रदता में निरंतर गिरावट आई है। आयात कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की जांच अवधि के भीतर अलग से जांच की गई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के लाभ और आरओआई की जांच अवधि के भीतर अलग से जांच की गई है।

क्र.सं.	माह	संबद्ध देशों से आयात कीमत		डी.आई. की बिक्री कीमत
		यूएसए	टर्की	
1	अप्रैल-19	17,116	16,463	***
2	मई -19	16,722	16,702	***
3	जून -19	17,610	16,532	***
4	जुलाई-19	18,313	16,864	***
5	अगस्त-19	17,879	16,616	***
6	सितं.-19	18,212	17,376	***
7	अक्टू.-19	-	16,875	***
8	नवंबर-19	17,285	16,883	***
9	दिसंबर-19	17,755	16,860	***

	अप्रैल –जून 19	जुलाई – सितं. 19	अक्टू.-दिसं. 19
बिक्री की लागत	***	***	***
बिक्री कीमत	***	***	***

लाभ /प्रति इकाई हानि	***	***	***
नकद लाभ /इकाई	***	***	***
आरओसीई	20-30	20-30	10-20

(ग) मांग में बाजार हिस्सा

73. क्षति अवधि के दौरान मांग में बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दिया गया है :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (ए)
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***	***
अन्य घरेलू उत्पादक	%	***	***	***	***	***
समग्र रूप में भारतीय उद्योग	%	***	***	***	***	***
संबद्ध देश-आयात	%	***	***	***	***	***
अन्य देश- आयात	%	***	***	***	***	***
कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

74. यह देखा गया है कि बाजार में घरेलू उद्योग का हिस्सा बढ़ा है। तथापि, समग्र रूप से भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में घरेलू उद्योग द्वारा जोड़ी गई नई क्षमताओं के कारण वृद्धि हुई है। इसी के साथ पीओआई में संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में अत्यधिक वृद्धि हुई है। घरेलू बाजार में आयातों का हिस्सा आधार वर्ष की तुलना में तीन गुना से अधिक हो गया है।

(घ) रोजगार, उत्पादकता तथा मजदूरी

75. क्षति अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग की रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी नीचे तालिका में दी गई है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (ए)
कर्मचारियों की संख्या	सं.	2,287	2,270	2,695	2,699	2,699
सूचीबद्ध		100	99	118	118	118
मजदूरी	लाख रुपए	10,390	11,448	13,334	11,041	14,721
सूचीबद्ध		100	110	128	142	142
उत्पादकता	प्रति दिवस	2,510	2,913	3,063	3,571	3,571
सूचीबद्ध		100	116	122	142	142

76. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के रोजगार में क्षमता में वृद्धि के साथ क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। प्रदत्त मजदूरी में भी वृद्धि हुई है। उत्पादन में वृद्धि के साथ प्रतिदिन उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

(ड.) मालसूची

77. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
औसत	मी.ट.	10,979	9,511	18,887	48,121
सूचीबद्ध		100	87	172	438

78. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की मालसूची में 2018-19 और उसके बाद पीओआई में काफी अधिक वृद्धि हुई है। मांग में वृद्धि की स्थिति में भी घरेलू उद्योग की मालसूची में भारी वृद्धि हुई है।

(च) वृद्धि

79. यह देखा गया है कि उत्पादन, क्षमता उपयोग की दृष्टि से घरेलू उद्योग की वृद्धि पीओआई में प्रतिकूल रही थी और मालसूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय की दृष्टि से पीओआई में वृद्धि ऋणात्मक रही थी।

विवरण	2017-18	2018-19	पीओआई	
			वास्तविक	वार्षिकीकृत
उत्पादन	16%	5%	17%	17%
घरेलू बिक्री	14%	4%	18%	18%
बिक्री की लागत	3%	7%	9%	9%
बिक्री कीमत	1%	9%	0%	0%
लाभ/प्रति इकाई हानि	-2%	15%	-21%	-21%
मालसूची	-13%	99%	155%	155%
आरओआई	-13%	-31%	-22%	-22%
प्रति इकाई नकद लाभ	-2%	14%	-13%	-13%

(छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

80. संबद्ध देश से आयात की कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, आदि की जांच यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम हैं जिससे भारी कीमत कटौती हुई है। कीमत कटौती से भारतीय बाजार में कीमत न्यूनीकरण हुआ है। संबद्ध वस्तु की मांग में क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है और इसलिए यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता है। इस प्रकार अंतिम रूप से यह निष्कर्ष हो सकता है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात हैं।

च.7 क्षति और क्षति मार्जिन –

81. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एन आई पी का निर्धारण जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना / आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। घरेलू उद्योग की निर्धारित एन आई पी ज्ञात की गई है और क्षति मार्जिन के परिकलन हेतु उसकी तुलना संबद्ध देशों से उत्पादकों / निर्यातकों की पहुंच कीमत के साथ की गई है। “सभी अन्य” दर को प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

क्र.सं.	उत्पादक कंपनी का नाम	एनआईपी (\$/एमटी)	पहुंच कीमत (\$/एमटी)	क्षति मार्जिन (\$/एमटी)	क्षति मार्जिन %
क.	तुर्की				
1	क) ईटीआई सोडा यूरेटिम पजारलामा नकलीवट वे इलेक्ट्रिक यूरेटिम सानाई वे टिकैरेट ए.एस.	***	***	***	0-10
	ख) काजन सोडा इलेक्ट्रिक यूरेटिम ए.एस.	***	***	***	0-10

	साइनर ग्रुप की भारित औसत	***	***	***	0-10
2	सोडा सनावी ए.एस.	***	***	***	0-10
3	कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	0-10
ख	यूएसए				
4	सीयरलेस वैली मिनरल्स इंक	***	***	Negative	
5	टाटा केमिकल्स सोडा ऐश पार्टनर्स ("टीसीएसएपी")	***	***	***	0-10
6	कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	0-10

82. प्राधिकारी ने क्षति मार्जिन के निर्धारण में माल भाड़े को शामिल करने संबंधी घरेलू उद्योग के दावे को माल भाड़ा सहित और मालभाड़ा रहित दोनों के द्वारा नोट किया है। तथापि, इस स्तर पर और आगे जांच होने तक प्राधिकारी ने मालभाड़ा जोड़े बिना क्षति मार्जिन पर विचार किया है।

छ. वास्तविक क्षति का खतरा

83. जैसा जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में नोट किया गया है, आवेदकों ने दावा किया है कि आयातों में भारी वृद्धि हुई है और उससे वास्तविक क्षति का खतरा बना हुआ है। प्राधिकारी द्वारा इस दावे की निम्नानुसार विस्तार से विश्लेषण किया गया है।

84. पाटनरोधी नियमावली में वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है:

"अनुबंध-II पैरा (vii) : वास्तविक क्षति की आशंका का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा और न कि केवल आरोप, निराधार कल्पना या सुदूर संभावना पर। परिस्थितियों में परिवर्तन जिनसे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिनमें पाटन से क्षति होगी, स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए और असन्नवर्ती होने चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों पर विचार करेंगे जैसे ;

- (क) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अधिक दर जिससे आयातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।
- (ख) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्नवर्ती, पर्याप्त वृद्धि जिनसे किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।
- (ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं, जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और इनसे अधिक आयातों की मांग बढ़ने की संभावना है, तथा
- (घ) उस वस्तु की माल सूची की जांच की जा रही हो।"

85. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सक्ष्य और प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रदत्त प्रश्नावली के उत्तर की जांच की गई है।

- क. संबद्ध देशों से आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पूर्ववर्ती वर्ष से पीओआई में आयातों की वृद्धि दर काफी अधिक है।
- ख. संबद्ध देशों में उत्पादकों ने अत्यधिक क्षमताएं स्थापित की हैं और वे काफी अधिक निर्यातोन्मुखी हैं।
- ग. आयात ऐसी कीमत पर प्रवेश कर रहे हैं जो बिक्री कीमत से कम है और इस प्रकार, घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रहे हैं। कीमत कटौती की वजह से बाजार में कीमत ह्रास हो रहा है।

- घ. विदेश में अधिशेष क्षमताओं सहित कीमत कटौती की वजह से बाजार में संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि होने की संभावना है।
- ड. निर्यातकों के उत्तर को देखते हुए उनकी मालसूची का स्तर काफी अधिक है।
86. इस प्रकार, यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा बना हुआ है।
- ज. गैर-आरोपण विश्लेषण**
87. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या उसी समय पाटित आयातों से इतर किसी ज्ञात कारक से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है ताकि अन्य कारकों द्वारा हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन तथा उत्पादकता शामिल है। नीचे इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों से इतर कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।
- (क) तीसरे देशों से आयात की मात्रा तथा कीमत**
88. जांच के अधीन देशों से आयातों में भारी वृद्धि हुई है। तथापि यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से इतर देशों से आयात संबद्ध देशों से आयात कीमत से अधिक कीमत पर हुए थे।
- (ख) निर्यात निष्पादन**
89. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग अधिकांशतः घरेलू बाजार में है। किसी भी तरह से प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है।
- (ग) प्रौद्योगिकी में विकास**
90. क्षति अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात वास्तविक विकास नहीं हुआ है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है।
- (घ) कंपनी के अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन**
91. प्राधिकारी ने केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर विचार किया है। घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति केवल संबद्ध वस्तु के संबंध में है।
- (ड.) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं तथा विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा**
92. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।
- (च) मांग में संकुचन और खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन**
93. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु की मांग में पूरी क्षति अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि हुई है। इस प्रकार, अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष हो सकता है कि घरेलू उद्योग को क्षति मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन के कारण नहीं हुई है।

अन्य मुद्दे

94. गोपनीयता संबंधी व्यापार सूचना सं. 10/2018 का अनुपालन नहीं हुआ है। समग्र वास्तविक सूचना नहीं दी गई है केवल रुझान दर्शाए गए हैं। विदेशी उत्पादकों/आयातकों के साथ याचिकाकर्ताओं के संबंध और उत्पादन के मूल्य की वास्तविक सूचना नहीं दी गई है।
95. प्राधिकारी को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि कथित क्षति की भरपाई तुर्की से सोडा ऐश के आयातों संबंधी समानांतर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच के मद्देनजर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ख(1) (क) के अनुसार दो बार न की जाए।

96. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार और व्यापार सूचना सं. 10/2018 में अपनाई गई नीति के आधार पर गोपनीयता के दावों पर विचार किया है। मापदंडों के अगोपनीय अंश को प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार इस प्रारंभिक जांच परिणाम में बताया गया है।

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध संबंधी निष्कर्ष

97. प्राधिकारी का अनंतिम रूप से निम्नानुसार निष्कर्ष है :-

- i. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान तेजी से घटती रही है। समग्र तथा सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।
- ii. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और ऐसी कीमत वृद्धि पर रोक लगी है जो पाटित आयातों की अनुपस्थिति में अन्यथा बढ़ गई होती। आयातों से बाजार में कीमत ह्रास हुआ है।
- iii. पीओआई के दौरान संबद्ध देशों से कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक और काफी अधिक है।
- iv. पाटित आयातों के कारण कीमत ह्रास की वजह से लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में भारी गिरावट आई है।
- v. कीमत कटौती और घरेलू उद्योग की अतिरिक्त क्षमता से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को आगे और क्षति का खतरा है।

ट. निष्कर्ष और सिफारिशें

98. किए गए अनुरोधों की जांच करने और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का अनंतिम रूप से निष्कर्ष है कि:

(क) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान भारी वृद्धि हुई है।

(ख) संबद्ध देशों से भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ।

(ग) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। आयातों से घरेलू उद्योग को आगे और क्षति का खतरा है।

(घ) यह क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है।

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में जांच शुरू करने और जांच करने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए जांच पूरी होने तक अनंतिम शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है। अतः प्राधिकारी इसे आवश्यक समझते हैं और तदनुसार, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

100. नियमावली के 4(घ) में दिए गए उपबंधों के अनुसार प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विषय वस्तुओं की उतारी गई कीमत पीओआई में उत्पादन प्रवृत्ति की लागत के विपरीत पीओआई में गिरावट का रुझान दिखाती है इसलिए प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर संदर्भ/बैंचमार्क कीमत के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। संदर्भ कीमत का परिकलन “पहुंच मूल्य + { (1) पाटन मार्जिन और (2) क्षति मार्जिन } में से कमतर” के रूप में किया गया है। अनंतिम पाटनरोधी शुल्क नीचे तालिका के कॉलम 7 में इंगित संदर्भ कीमत और पहुंच मूल्य के बीच अंतर के बराबर होगा। इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के

अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और उस पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के अंतर्गत शुल्कों के अतिरिक्त सीमा शुल्क के प्रयोज्य स्तर शामिल होंगे।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	एचएस कोड *	वस्तुओं का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	संदर्भ कीमत	इकाई	मुद्रा
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.	2836.20	सोडा एश (डिसोडियम कार्बोनेट)	संयुक्त राज्य अमरीका	संयुक्त राज्य अमरीका	सीरेल्स वैली मिनरल्स इंक. को छोड़कर कोई अन्य	275.08	मी.ट.	अम.डॉ.
2.	2836.20	सोडा एश (डिसोडियम कार्बोनेट)	संयुक्त राज्य अमरीका	संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की के अलावा कोई भी अन्य देश	कोई	275.08	मी.ट.	अम.डॉ.
3.	2836.20	सोडा एश (डिसोडियम कार्बोनेट)	संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की के अलावा कोई भी अन्य देश	संयुक्त राज्य अमरीका	कोई	275.08		
4.	2836.20	सोडा एश (डिसोडियम कार्बोनेट)	तुर्की	तुर्की	सोडा सनयायी ए.एस.	266.37	मी.ट.	अम.डॉ.
5.	2836.20	सोडा एश (डिसोडियम कार्बोनेट)	तुर्की	संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की के अलावा कोई भी अन्य देश	कोई	275.08	मी.ट.	अम.डॉ.
6.	2836.20	सोडा एश (डिसोडियम कार्बोनेट)	संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की के अलावा कोई भी अन्य देश	तुर्की	कोई	275.08	मी.ट.	अम.डॉ.

*सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और शुल्क का निर्धारण पीयूसी के वर्णन के अनुसार किया जाएगा। ऊपर उल्लिखित पीयूसी तब भी उक्त एडीडी के अधीन होनी चाहिए जबकि उसका आयात किसी अन्य एस एस कोड के अधीन किया गया हो।

ठ. आगे की प्रक्रिया

101. प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:
- क. प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों से इन अनंतिम जांच परिणामों पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं तो अंतिम जांच परिणाम में उन पर विचार किया जाएगा।
 - ख. घरेलू उद्योग, निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार जो संबंधित जाने जाएं, को प्राधिकारी द्वारा अलग से पत्र भेजा जा रहा है जो इन प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं।
 - ग. अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी इन जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं।
 - घ. प्राधिकारी आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक आगे सत्यापन करेंगे।
 - ड. प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम घोषित करने से पूर्व पाटनरोधी नियमावली के अनुसार अनिवार्य तथ्यों का प्रकट करेंगे।

विद्युत बिहारी स्वैन, विशेष सचिव एवं महानिदेशक (रक्षोपाय)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, 21st August, 2020

PRELIMINARY FINDINGS

(OI CASE No: 30/2019)

Subject: Preliminary Findings in the matter of anti-dumping investigation concerning imports of “Soda Ash” originating in or exported from Turkey and USA.

F. No. 6/39/2019 –DGTR.—A. BACKGROUND OF THE CASE

Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as “the Rules” or “the AD Rules”) thereof:

Whereas, M/s DCW Ltd., M/s RSPL and M/s GHCL (hereinafter also referred to as “the Applicants” or “the Domestic Industry”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as “the Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act and the AD Rules for imposition of Anti-dumping duty on imports of “Soda Ash” (hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”) originating in or exported from Turkey and USA (hereinafter also referred to as the “subject countries”).

And, whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/39/2019 - DGTR dated 22nd January, 2020, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with the AD Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the Domestic Industry.

B. PROCEDURE

1. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:

- a) The Authority notified the Embassies of the Subject Countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
- b) The Authority issued a public notice dated 22nd January 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from subject countries.
- c) The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassies of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the Domestic Industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the Applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
- d) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
- e) The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
- f) The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:
 - i. M/s FMC Industrial Chemicals
 - ii. M/s Solvay Soda Ash
 - iii. M/s General Chemicals Industrial Products
 - iv. M/s ANSAC
 - v. M/s FMC Corporation
 - vi. M/s Ciner Resources LP
 - vii. M/s Ciner Wyoming LLC
 - viii. M/s Ciner Resources Corporation
 - ix. M/s Eti Soda
 - x. M/s Soda Sanayii
 - xi. M/s Kazan Soda Electric
- g) Following exporters have filed questionnaire response from the subject countries:
 - i. Searles Valley Minerals Inc., USA
 - ii. M/s Tata Chemicals Soda Ash Partners ("TCSAP"), Producer, USA
 - iii. M/s Tata Chemicals International Pte. Ltd. ("TCIPL"), USA along with its related importer M/s Tata Chemicals Ltd. ("TCL")
 - iv. ETI Soda Uretim Pazarlama Nakliyat Ve Elektrik Uretim Sanayi Ve Ticaret A.S., Turkey
 - v. Kazan Soda Elektrik Uretim A.S, Turkey
 - vi. Ciner IC Ve Dis Ticaret A.S. (CIDT), Turkey
 - vii. Soda Sanayii A.S., Turkey its related exporter Sisecam Dis Ticaret A.S.
- h) The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. M/s Gujarat Guardian Ltd.
 - ii. M/s Advance Surfactant India Ltd.
 - iii. M/s Float Glass India Ltd.
 - iv. M/s A.R. Stanchem Pvt. Ltd.
 - v. M/s Alenbic Glass Industries Ltd.
 - vi. M/s Hind Silicates Pvt. Ltd.
 - vii. M/s Deepak Nitrite Ltd.
 - viii. M/s Taurus Chemical (P) Ltd.

- ix. M/s Hindustan National Glass & ind. Ltd.
 - x. M/s Kishoresons Detergents Pvt. Ltd.
 - xi. M/s Hindustan Unilever Ltd.
 - xii. M/s J.J. Patel Industries
 - xiii. M/s Procter & Gamble Hygiene & Healthcare
 - xiv. M/s Shriram Bharath Chemical & Detergents Pvt. Ltd.
 - xv. M/s Albright Morarji & Pandit Ltd.
 - xvi. M/s Modern Glass Industries
 - xvii. M/s Advatech Industries Pvt. Ltd.
 - xviii. M/s Adarsh Kanch Udyog (P) Ltd.
 - xix. U.P. Glass Manufacture Syndicate
 - xx. M/s Paragati Glass Pvt. Ltd.
 - xxi. M/s Asahi India Glass Limited
 - xxii. M/s Gora Malhari Ram Ltd.
 - xxiii. M/s Fena (P) Ltd.
 - xxiv. M/s Rohit Surfactants (P) Ltd.
 - xxv. M/s Shree Unicon Organics P. Ltd.
 - xxvi. M/s Astral Glass Pvt. Ltd.
 - xxvii. M/s Pollachi Chamber of Commerce and Industry
 - xxviii. M/s BDJ Glass Industries Pvt. Ltd.
 - xxix. M/s Vasunhara Rasayan Ltd.
 - xxx. M/s Shri Hari Industries
 - xxxi. M/s Power Soap Ltd.
 - xxxii. M/s Hindustan National Glass & Industries
 - xxxiii. M/s Shanti Nath Detergents (P) Ltd.
 - xxxiv. M/s Jagatjit Industries Ltd.
 - xxxv. M/s Advance Home & Personal Care
 - xxxvi. M/s S. Kumar Detergents P. Ltd.
 - xxxvii. M/s Mauli Exports
- i) The Authority also informed the following Associations in India, in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- i. Detergent Manufacturers Association
 - ii. Indian Chemical Merchants & Manufacturers
 - iii. Bulk Drug Manufacturers Association (India)
 - iv. Indian Glass Manufacturers' Association
 - v. The Dyes & Chemical Merchants Association
 - vi. The Federation of All India Dyes & Chemicals Merchants Association
- j) The Authority, upon request, granted extension, to file Questionnaire Responses by 20.03.2020.
- k) Following imports/users have filed questionnaire responses:
- M/s Saint Gobain India Pvt. Limited
 - M/s Hindustan Unilever Ltd. India
 - M/s Tata Chemicals Ltd.
- l) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented / submissions made in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- m) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.

- n) The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the Domestic Industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- o) Verification of the information provided by Applicant Domestic Industry by way of table study, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of preliminary findings.
- p) The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is from 1st April, 2019 to 31st December, 2019 (9 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period from April 2016 - March 2017, April 2017 - March 2018, April 2017 - March 2018, and the POI.
- q) The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this preliminary finding.
- r) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- s) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the preliminary findings on the basis of the facts available.
- t) ‘***’ in this preliminary finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- u) The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1 = ₹71.24.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Submissions made by the Domestic Industry

- 2. The submissions made by the Domestic Industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:
 - a) The product under consideration is Disodium Carbonate, popularly known as Soda Ash, having chemical formula Na_2CO_3 . Soda Ash is a white, crystalline, water-soluble material. It has been referred as "soda Ash" in this petition. Soda Ash is produced in two forms by the Indian Producers - Light Soda Ash and Dense Soda Ash. The difference in the two types is bulk density. Further, soda ash can be either natural soda ash or synthetic soda ash, both products are essentially the same. In the present investigation all types and form of Soda Ash have been included i.e. soda ash produced through natural route and synthetic route.
 - b) Soda Ash is an essential ingredient in the manufacture of detergents, soaps, cleaning compounds, sodium based chemicals, float glass, container and specialty glasses, silicates and other industrial chemicals. It is also widely used in textiles, paper, metallurgical industries and desalination plants.
 - c) Synthetic soda ash is manufactured using the Solvay, Hou, or ammonia-soda process. The production process in Turkey, of natural Soda ash is solution mining of Trona. The Trona mine is extracted to the surface by solution mining. Another production process

employed in USA is the room and pillar method, where Trona is mined and conveyed to the surface to be refined into dense soda ash

- d) The product under consideration is imported under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975, under customs sub-heading 2836.20. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.
- e) There is no difference in product produced by the Applicant and exported from the subject countries.

C.2. Submissions made by Other Interested Parties

- 3. No submissions have been made by other interested parties with regard to product under consideration.

C.3. Examination by the Authority

- 4. The product under consideration (PUC) in the present investigation is Disodium Carbonate, popularly known as Soda Ash, having chemical formula Na_2CO_3 . Soda Ash is produced in two forms - Light Soda Ash and Dense Soda Ash. The difference in the two types is bulk density. It can be produced through synthetic route, known as dissolution process, and natural route. The present investigation includes all types and forms of Soda Ash.
- 5. Soda ash is used in the manufacture of detergents, soaps, cleaning compounds, sodium based chemicals, float glass, container and specialty glasses, silicates and other industrial chemicals.
- 6. Subject goods are classifiable under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975, under customs sub-heading 2836.20. However, the customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.
- 7. The Authority notes from the information available on record that the product under consideration produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject countries. Product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Even though there are different manufacturing process/technologies involved for production of the subject goods i.e. solution mining of Trona in Turkey; room and pillar method in USA; and Solvay, Hou, or ammonia-soda process for synthetic soda ash, the end product has comparable specifications and is used interchangeably. The Authority further notes that the imported and the domestically sold products are technically and commercially substitutable, and the consumers are using the two interchangeably.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions made by the Domestic Industry

- 8. The submissions made by the Domestic Industry with regard to scope of Domestic Industry & standing are as follows:
 - a) The Applicants, M/s. DCW Ltd, M/s. RSPL and M/s. GHCL, are the producers of the subject goods in India. There are three other producers of the subject goods, other than the Applicants, i.e. M/s. Tata Chemicals Ltd. (TCL), M/s. Nirma Limited, and M/s. Tuticorin Alkali Chemicals and Fertilisers Ltd. (TAC). M/s. Tata chemicals has exported subject goods to India, and M/s. Nirma Limited has a related producer in USA and has also exported the subject goods; and are thus, ineligible to constitute domestic industry under the Anti-Dumping Rules.
 - b) The Applicants have not imported the product under consideration from the subject countries, and are also not related to any importer in India or any exporter from the subject countries.
 - c) The Applicants hold a major proportion of total Indian production. Accordingly, the Application clearly satisfies the requirement of standing and thus, the applicants constitutes 'Domestic Industry' in India for the product concerned in terms of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the AD Rules.

D.2. Submission of other interested parties

9. Petitioners cannot themselves determine which producer would be excluded or included in term of Rule 2(b). The authority to define “domestic industry” lies with the Designated Authority.
10. Petitioners have not provided their share of production after taking into account the production of excluded producers in total Indian production.

D.3. Examination by the Authority

11. The application has been filed by M/s. DCW Ltd, M/s. RSPL and M/s. GHCL Ltd. The Applicants have informed that currently there are three other producers of the product under consideration in India, namely, M/s. Tata Chemicals Ltd. (TCL), M/s. Nirma Limited, and M/s. Tuticorin Alkali Chemicals and Fertilisers Ltd. (TAC).
12. After filing of the application, letters were filed by M/s. Tata Chemicals Ltd. (TCL) and M/s. Nirma Limited supporting the application. They have also provided details of exports made by their affiliate parties in USA to India. It is seen that exports made by the affiliate company of Tata Chemicals, i.e., M/s Tata Chemicals North America is quite significant in relation to total imports from USA, similarly exports made by the affiliate company of Nirma Ltd, i.e., Searles Valley Minerals Inc. is also quite significant in relation to total exports from USA. Both these US companies have filed questionnaire response, demanding determination of individual dumping margin. It is seen that exports made by the affiliate parties is significant. The Authority notes the submission made by other interested party and notes that analysis of questionnaire response shows that exports made by these companies are at dumped prices. Therefore Tata Chemicals and Nirma Ltd are treated as ineligible domestic industry of subject goods in India.
13. The production of the applicants including and excluding ineligible producers has been determined. It is seen that the production of the applicant companies constitutes a major proportion in total Indian production in both the situation. It is also noted that the Applicants have not imported the product under consideration and are not related to any importer in India or any exporter from the subject countries.
14. Accordingly, the Authority provisionally holds that for the purpose of this investigation the Applicants satisfies the standing requirement and constitute the Domestic Industry in terms of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.

E. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN**E.1. Submissions by the Domestic Industry**

15. The following submissions have been made by the Domestic Industry:
 - a) Efforts were made to get evidence of the price of subject goods in Turkey and USA, however, domestic industry were unable to get any information/evidence of price of subject goods in the form of actual transaction prices. Applicants, therefore, have relied on prices published in HIS Markit: Global Soda Ash Monthly Issues for April-November 2019, to determine price meant for consumption of the product prevailing in the subject countries.
 - b) Export price from the subject countries has been adjusted for the following expenses, which the exporters from the subject countries have incurred for exporting to India, i.e. Ocean Freight, Marine Insurance, Commission, Inland Transportation, Bank Charges and Port Expenses.
 - c) Considering the normal value and export price, dumping margin has been determined. The dumping margins so determined from the subject countries are above de minimis levels and significant.

E.2. Submissions by the other interested parties

16. POI is April 2019 to December 2019, however, the data relied on with respect to normal value and export price to initiate the present investigation upto November 2019. No details provided as to what basis these prices were arrived at and confidentiality has been claimed on the IHS Markit. It is not clear if the updated data provided by the Petitioners up to December 2019 relies on the same source or some other source.
17. Ex-factory export price for Turkey and USA is grossly understated. HUL has determined ex-factory export price based on its import price and using the adjustment claimed by the petitioners

and traders' margin as per market intelligence. Export price is in the region of 220-240 USD/MT for Turkey and USD/MT200-220 for USA.

E.3. Examination by the Authority

18. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:
 - i. *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
 - ii. *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*
 - a. *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - b. *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*
19. The Authority has sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority.
20. Following foreign producers have filed questionnaire response
 - a. Searles Valley Minerals Inc., USA
 - b. Tata Chemicals Soda Ash Partners ("TCSAP"), Producer, USA
 - c. M/s Tata Chemicals International Pte. Ltd. ("TCIPL"), USA
 - d. ETI Soda Uretim Pazarlama Nakliyat Ve Elektrik Uretim Sanayi Ve Ticaret A.S., Turkey
 - e. Kazan Soda Elektrik Uretim A.S, Turkey
 - f. Ciner IC Ve Dis Ticaret A.S. (CIDT), Turkey
 - g. Soda Sanayii A.S., Turkey
21. The Authority notes the submission of interested parties and has evaluated the dumping margin and injury margin on the basis of response filed by the producer/exporter.

Determination of Normal Value and Ex-factory Export Price for producers/exporters of USA

Searles Valley Minerals Inc., USA and Tata Chemicals Soda Ash Partners ("TCSAP")

E.3.1 Determination of Normal Value

22. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production and SGA expenses concerning the product under consideration. Where profit making transactions are more than 80%, the Authority considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in case, profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value.

Searles Valley Minerals Inc., USA

23. From the response filed by Searles Valley Minerals Inc. the Authority notes that the company has made direct sales of the product under consideration in the domestic market during the POI.
24. Further, it is seen that the company has sold material in the domestic and Indian market both directly and through affiliated companies. However, the exporter has not provided any justification and evidence as to how these sales to affiliated parties are in the ordinary course of trade. Considering that the exporter has not established how the sales to affiliated are in the ordinary course of the trade, the Authority has ignored sales made by the company to its affiliated company, provisionally, pending further determination. Subject to the above, the Authority has considered and adopted the questionnaire response filed by both the producers from USA. Based on the ordinary course of trade test, profitable domestic sales to unrelated customers have been taken for

determination of normal value, wherever the profitable sales were less than 80%. Wherever profitable sales were above 80%, normal value has been determined based on total domestic sales. Price adjustments have been allowed, as claimed, and pending further determination. Accordingly, normal value has been determined at ex-factory level, as *** \$/MT.

M/s Tata Chemicals Soda Ash Partners ("TCSAP"), Producer, M/s Tata Chemicals International Pte. Ltd. ("TCIPL") and M/s Tata Chemicals Ltd. ("TCL")

25. The producer/exporter has sold *** MT of subject goods in their domestic market during POI which include *** MT to unaffiliated customers, and *** MT to affiliated and *** MT to ALCAD, partnership, a related trader (who sold it further to end customer/users). The Authority notes that since there is an appreciable price difference to independent and related entities, and that the exporter has not established that sales to related buyer in home market in the ordinary course of trade, for the purpose of preliminary finding, the Authority proposes to consider sales to independent customers only. Price adjustments have been allowed, as claimed, and pending further determination. The 'normal value' after applying significant and OCT test comes to *** \$/MT.

All other Producers/Exporters from USA

26. In respect of all other producers/exporters from USA who are treated to be non-cooperative, the Authority has determined normal value as per facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. The questionnaire response filed by the US producers have been considered for the purpose. The highest normal value in the domestic market has been adopted.

E.3.2 Export Price

Searles Valley Minerals Inc., USA

27. From the response filed by Searles Valley Minerals Inc., USA, the Authority notes that Searles Valley Minerals Inc. is a producer as well as exporter of the subject goods. During the POI, Searles Valley Minerals Inc., USA has exported subject goods to an extent of *** MT to India directly. Adjustments towards inland freight, credit cost, handling expenses, commission, insurance, overseas freight and foreign exchange loss have been claimed by the producer/exporter. Adjustments towards inland freight, credit cost, handling expenses, commission, insurance and overseas freight have been allowed by the Authority. Accordingly, the net export price determined for exports to India has been determined as USD *** per MT. The landed value is computed as *** \$/MT.

M/s Tata Chemicals Soda Ash Partners ("TCSAP"), Producer, M/s Tata Chemicals International Pte. Ltd. ("TCIPL") and its related importer M/s Tata Chemicals Ltd. ("TCL")

28. M/s Tata Chemicals Soda Ash Partners ("TCSAP"), USA, the producer have exported *** MT which includes *** MT to India through its related exporter to M/s Tata Chemicals International Pte. Ltd. ("TCIPL"), Singapore and also *** MT directly to M/s Tata Chemicals Ltd. ("TCL") a related importer in India during POI. The ex-factory export price of *** \$/MT of subject goods to India in POI has been considered after considering adjustments on freight and delivery charges. The landed value is evaluated as *** \$/MT.

Export Price for non-cooperating producers/exporters from USA

29. The Authority has determined the export price for non-cooperating producers/ exporters from USA based on facts available, for which the questionnaire responses filed by the producers from USA have been considered. The lowest selling price for exports to India has been considered.

Determination of Normal Value and Ex-factory Export Price for producers/exporters of Turkey

ETI Soda Uretim Pazarlama Nakliyat Ve Elektrik Uretim Sanayi Ve Ticaret A.S. and Kazan Soda Elektrik Uretim A.S. – The Ciner Group

a) ETI Soda Uretim Pazarlama Nakliyat Ve Elektrik Uretim Sanayi Ve Ticaret A.S. (ETI Soda in short)

30. The producer is from Ciner Group of Companies and produces Natural Soda Ash and had produced and sold Dense Soda Ash only as claimed by the Company. ETI Soda has produced *** MT of PUC during the POI. The Company had sold *** MT of the PUC directly to independent

customers and *** MT to its related companies in the domestic market. Out of the related companies, only one of its related companies namely Ciner IC Ve Dis Ticaret A.S. (CIDT) had sold *** MT of PUC to independent customers in the domestic market. The Authority notes there is quite a difference between the domestic selling price to related and non related entities and that the exporter has not established that sales to related buyer in home market in the ordinary course of trade. Therefore, for the purpose of preliminary finding, for computing the normal value, the direct sales of ETI to independent customers (*** MT) is only taken into consideration.

31. The Exporters Questionnaire Responses filed by ETI Soda and CIDT have been examined. The domestic sales of the subject goods by ETI Soda in their domestic market is representative and viable for permitting determination of normal value on the basis of their domestic selling prices. The ordinary course of trade test is also undertaken on the transaction wise domestic price data and cost data provided by ETI. The normal value so determined is US\$ *** per MT for the POI.

b) Kazan Soda Elektrik Uretim A.S (Kazan in short)

32. The above producer is also from the Ciner Group of Companies and produces Natural Soda Ash and had produced and sold Soda Ash Dense only as claimed by the Company. Kazan Soda Elektrik Uretim A.S had produced *** MT of PUC during the POI. The Company had sold *** MT of PUC in the domestic market directly to independent customers. The Company had also sold *** MT of PUC in the domestic market to its related companies out of which one of its related Company namely Ciner IC Ve Dis Ticaret A.S. (CIDT) had sold *** MT to independent customers in the domestic market. For the purpose of normal value only the direct sales of Kazan to independent customers (*** MT) has been considered keeping in view that selling price of the producer to related and non related has an appreciable difference and that the exporter has not established that sales to related buyer in home market in the ordinary course of trade.
33. The Exporters Questionnaire Responses filed by Kazan and CIDT have been examined. The domestic sales of the subject goods by Kazan in their domestic market is representative and viable for permitting determination of normal value on the basis of their domestic selling prices. The ordinary course of trade test is also undertaken on the transaction wise domestic price data and cost data provided by Kazan. The normal value so determined is US\$ *** per MT for the POI.

c) Soda Sanayii A.S. – The Sisecamgroup

34. The producer is from Sisecamgroup of companies and produces Synthetic Soda Ash and had produced and sold both Soda Ash Dense and Soda Ash Light. Soda Sanayii has produced *** MT of PUC during the POI. The Company had sold *** MT of PUC in the domestic market directly to independent customers and *** MT of PUC in the domestic market to its related companies who had consumed it as raw material without any resale. It is also noted that the Company had imported *** MT of Soda Ash from its related company in Bulgaria and Bosnia and such imported volume is also covered in the total domestic sale of *** MT. The Company claimed that since these materials are not originating in Turkey, normal value need to be calculated based on the own manufactured goods without considering the sale of imported material. The Company has further claimed that since they had sold only Soda Ash Dense to India, the sales of only Soda Ash Dense in domestic market need to be considered for calculation of normal value. The Authority notes that the producer has claimed only one cost for both dense and light grades which also includes the soda ash imported and then sold in the domestic market. There is no evidence and justification to restrict the analysis only to Dense Soda Ash only when the exporter has himself provided a consolidated cost for dense, light and imported goods in appendix 8. Hence, for the purpose of normal value, the direct sales of subject goods sold to independent customers of both grades i.e. Soda Ash Dense and light (*** MT) including that is imported is taken in to consideration.
35. The Exporters Questionnaire Responses filed by the Company have been examined. The domestic sales of the subject goods by the producer in their domestic market is representative and viable for permitting determination of normal value on the basis of their domestic selling prices. The ordinary course of trade test is also undertaken on the transaction wise domestic price data and cost data provided by the producer. The normal value so determined is US\$ *** per MT for the POI.

Export Price**ETI Soda Uretim Pazarlama Nakliyat Ve Elektrik Uretim Sanayi Ve Ticaret A.S. and Kazan Soda Elektrik Uretim A.S. – The Ciner Group****a) ETI Soda Uretim Pazarlama Nakliyat Ve Elektrik Uretim Sanayi Ve Ticaret A.S.**

36. The Company had exported *** MT of subject goods to India directly during the POI. All these sales were at FOB terms. The company has submitted adjustments on account of inland freight and port handling expenses and the same is accepted to work out the ex-factory export price. The net export price determined for the Company so comes to US\$ *** per MT for the POI. The landed value is computed as *** USD/MT for the POI.

b) Kazan Soda Elektrik Uretim A.S

37. The Company had exported *** MT of subject goods to India through CIDT during the POI. All these sales were at FOB terms. The company has submitted adjustments on account of inland freight and port handling expenses and the same is accepted to evaluate the ex-factory export price. The net export price for the Company comes to US\$ *** per MT for the POI. The landed value is computed as *** \$/MT for the POI. The authority has not considered the sale of through the related company for the purpose of preliminary finding.

c) Soda Sanayii A.S.

38. The Company had exported *** MT of subject goods to India directly and *** MT through its related exporter namely Sisecam Dis Ticaret A.S. during the POI who have also filed the Exporters Questionnaire Response. The Company has submitted adjustments on account of inland freight, port handling expense, ocean freight, Marine insurance, commission (in case of sales through related party) and the same is accepted to evaluate the ex-factory export price which comes to US\$ *** per MT for the POI. The landed value is computed as *** \$/MT for the POI.

E.3.3 Dumping Margin

39. Considering the normal value as provided above, and export price as determined, the authority has determined the dumping margins during the POI for all the producers-exporters of the subject countries.

Sl. No	Name of the Producer Company	Normal Value (US\$/MT)	Net Export Price (US\$/MT)	Dumping Margin (US\$/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin Range (%)
A.	Turkey					
1	a)ETI Soda Uretim Pazarlama Nakliyat Ve Elektrik Uretim Sanayi Ve Ticaret A.S.	***	***	***	***	10-20
	b)Kazan Soda Elektrik Uretim A.S	***	***	***	***	20-30
	Weighted Average of Ciner Group	***	***	***	***	10-20
2	Soda Sanayii A.S.	***	***	***	***	0-10
3	Any other producer/exporter	***	***	***	***	10-20
B.	USA	***	***	***	***	
4	Searles Valley Minerals Inc.	***	***	***	***	20-30
5	Tata Chemicals Soda Ash Partners ("TCSAP")	***	***	***	***	20-30
6	Any other producer/exporter	***	***	***	***	30-40

40. It is seen that the dumping margins are significant and more than the de-minimus in respect of exports made from each of the subject countries.

F. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK

F.1. Submissions made by the Domestic Industry

41. The submissions made by Domestic Industry are as follows:

- a. PUC is sold in two forms i.e. light and dense. Imports are largely in dense form which is predominantly used by the glass sector. Thus, adverse impact of imports on the domestic industry would be seen in the glass manufacturing sector.
- b. The demand/apparent consumption of the subject goods increased over the proposed injury period.
- c. The volume of imports from subject countries have increased significantly both in absolute and relative terms. Post-cessation of duty, there has been an exponential rise in imports from the subject countries. Imports from subject countries has increased from base year to the POI. Imports in relation to production and consumption (excluding captive) has also increased significantly.
- d. Evolution of prices over the injury period, of the subject countries, EU, Kenya, other major countries and remaining countries, shows that landed price from the subject countries is now lower than all other major countries including Kenya and EU.
- e. Import prices from the subject countries have been significantly below the selling prices of the domestic industry, thus resulting in significant price undercutting. Determination price undercutting on the basis of net sales realisation (NSR) after excluding freight & discount is inconsistent with application proforma, business reality and the purpose of determining price undercutting. Price undercutting should be determined based on selling price and not NSR.
- f. Despite increase in cost of sales and selling price, the increase in selling price was earlier higher than the increase in cost of sales so long as the ADD was in place. However, in recent period prices are falling steeply. Price list of one of the applicant companies shows that even the list prices have declined significantly.
- g. As imports have increased in a short span hence, quarterly analysis has been done. Cost of sales have increased and selling price is declining since Q1 2019-20. Rate of increase of cost of sales is much higher than rate of increase in landed price. Landed price of imports from the subject countries, are below the level of selling price of the domestic industry. Imports are thus suppressing and depressing the prices of the domestic industry consequently adversely impacting the profitability. Imports are largely in dense form, thus imports are mostly competing in the consumer segment of dense soda ash i.e. glass manufacturing industry.
- h. Production and sales of the domestic industry has increased over the injury period with increase in demand and capacity enhanced. However, production and sales of the domestic industry is lower than what it could have been in the absence of dumped imports, which have increased significantly. Quarterly movement would show that despite increase in demand, the domestic sales have declined. Despite increase in demand, inventories have increased.
- i. There is a significant increase in the market share of subject imports in the POI by 254% from base year. Share of domestic industry has increased however, share of domestic producers as a whole declined.
- j. Domestic industry's profitability improved upto 2018-19, and declined in the proposed POI. The applicants submitted that as imports are largely used in glass sector; hence, profitability of the domestic industry has declined more in glass than in non-glass sector.
- k. Return of investment (ROI) has progressively declined over the injury period, and has declined significantly in the POI when compared to the base year.
- l. The level of inventories with the domestic industry have increased over the injury period. In a scenario of increasing demand, inventories should have increased, however, it has increased not just with DI but with other domestic producers as well.
- m. The number of employees and wages, considering increase in capacity have also increased. However, the applicants submitted that the same is not solely dependent on performance of

subject goods, rather governed by legislative requirements of the country and various business compulsions with the industry.

- n. The growth of domestic Industry was positive in terms of production, domestic sales. However, the growth in terms of inventories, profits, cash profits and return on investment was negative in the POI.

F.2. Submission by other interested parties

- 42. There is only minor increase in import volumes in relative terms. The market share has increased. Capacity, production and sales quantity of the domestic industry has also increased. Any impact on capacity utilization during the POI is because of the recent increase in capacity by the domestic industry as is also evinced from a decrease in captive consumption
- 43. Freight outwards have been included in net sales realization, which is against the Rule. In case the authority chooses to consider the sales price at the factory gate of the customer then landed price should also be adjusted appropriately to ensure a fair comparison between prices
- 44. Increase in selling price is less as compared to the costs even when increase in landed price is more than the increase in cost of sales. Thus, alleged price undercutting has not impacted the selling price and thus, is not causing a price suppression/depression.
- 45. NIP based on alleged injury margin is in the range of INR 22,048 per MT to INR 22,741 per MT. Import price of HUL, as per the questionnaire response filed, is far above this.
- 46. Revenue and EBIT – domestic sales has improved substantially over past few years as is also evidenced from the annual reports of the petitioning companies.
- 47. Injury if any, is self-inflicted and caused by factors such as the Petitioners' undertaking loans, investments, capacity enhancement and R&D activities as evidenced from Annual reports.
- 48. More than 20% of the total demand of the country is required to be met by imported material, the same further can be corroborated from the recent IHS publication, Jan 2020. Thus, no volume effect can be attributed to imports.
- 49. Price-undercutting should be provided for injury period including POI and will be relevant to determine any causal link between the alleged price-undercutting and alleged injury.
- 50. There is no threat of material injury. The percentage share of exports of the subject goods to India from USA and Turkey is minimal. Export prices from Turkey into other countries shows that India export prices from Turkey are in fact on the higher side. No evidence on inventories of the subject goods provided

F.3. Examination by the Authority

- 51. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties and has examined various parameters in accordance with the relevant Anti-Dumping Rules and Annexure III after duly considering the submissions made.

Cumulative Assessment

- 52. Para (iii) of Annexure II of the Anti-Dumping Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti- dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
 - a) Margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent expressed as percentage of export price and the volume of imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the import of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article; and
 - b) Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
- 53. The Authority notes that:
 - a) The subject goods are being dumped into India from subject countries. The margin of dumping from each of the subject countries is more than the de minimis limits prescribed under the Rules.

- b) The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of total volume of imports.
- c) Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete inter se but also with the like article offered by the Domestic Industry in the Indian market.
54. In view of the above, the Authority considers that it is appropriate to assess injury to the Domestic Industry cumulatively from imports of the subject goods from the subject countries.
55. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the Domestic Industry, *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such article*
56. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.
57. The submissions made by interested parties with regard to injury and causal link, which have been considered relevant by the Authority are examined and addressed as under.

F.4. Volume Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

(a) Assessment of Demand/Apparent Consumption

58. Demand or apparent consumption of the product in India has been determined as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. It is seen that the demand so assessed has shown an increasing trend throughout the injury period.

Demand	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	annualised
Sales of Domestic Industry	MT	8,15,013	9,28,870	9,66,628	8,55,676	11,40,902
Sales of Other Indian Industry	MT	***	***	***	***	***
Subject countries-Imports	MT	1,41,096	2,41,324	3,30,506	4,12,910	5,50,546
Other Countries with more than 3% share	MT	5,47,764	5,31,297	5,06,488	2,77,320	3,69,760
Demand/consumption	MT	***	***	***	***	***
Index		100	109	115	89	119

(b) Import Volumes from the subject countries

59. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports from the subject countries, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The factual position is as follows;

Import Volume	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	annualised
Subject Countries	MT	141,096	241,324	330,506	412,910	550,546
Index		100	171	234	293	390
Subject country-Turkey	MT	15,190	92,251	209,998	178,956	238,607
Subject country-USA	MT	125,906	149,073	120,508	233,954	311,939

Countries with more than 3% Share	MT	380,814	403,379	385,423	226,974	302,633
Other Countries	MT	166,950	127,919	121,065	50,346	67,128
Total	MT	688,860	772,622	836,994	690,230	920,306

60. It is seen that dumped imports from subject countries have increased significantly over the injury period with significant increase in the POI. It is seen that the imports in POI have increased by as much as 290% from the base year and by 156% from the previous year. Domestic industry has submitted that the imports have increased significantly after cessation of anti-dumping duties which was earlier levied on the import of subject goods from the subject countries.

(c) Subject Countries Imports in relative terms

61. It is seen that the dumped imports in relation to production and consumption increased from 5.40% and 4.53% in the base year to 17.41% and 14.89% respectively, in the POI. Thus, the Authority notes that imports in relation to production and demand, have increased significantly over the injury period. In relation to imports, subject countries imports increased from about 20% in base year to about 60% in the POI.

	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	annualised
Production	%	5.40	8.20	10.87	17.41	17.41
Consumption	%	4.53	7.14	9.24	14.89	14.89
Gross imports	%	20.48	31.23	39.49	59.82	59.82

F.5. Price Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

62. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the Domestic Industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realisation, selling price and the non-injurious price (NIP) of the Domestic Industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

(a) Price Undercutting

63. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the Domestic Industry has been compared with the landed value of imports from the subject countries. It has been contended by the domestic industry that transportation cost forms a very substantial portion of the cost of production in case of subject goods, as (a) the domestic industry is located in the State of Gujarat and the sales have to be made throughout India and (b) given the price of the product, freight cost forms a significant part in the procurement cost of the consumers. The domestic industry has thus contended that the selling price of the domestic industry should be compared with the landed price of imports only after adding the transportation costs. It is seen that the subject goods are a comparatively lower price product. Thus, the incidence of transportation cost per MT is substantial when compared with the selling price of the product and is likely to impact the price comparability. The Authority considering this claim has determined price undercutting, both, by including freight and excluding freight. However, at this stage, and pending further investigation, the Authority has considered the price undercutting without adding freight.

Price undercutting without freight

Particulars	Unit	USA	Turkey
Landed value	Rs. /MT	19,172	18,192
Net sales realization without freight	Rs. /MT	***	***
Price undercutting	Rs. /MT	***	***

Price undercutting	%	***	***
Price undercutting (Range)	%	0-10	10-20

64. It is seen that the import prices from the subject countries have been significantly below the selling price of the domestic industry, thus undercutting the domestic prices.

(b) Price Suppression and Depression

65. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices, changes in the costs and prices over the injury period have been compared. The factual position is as follows :

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
Index		100	103	110	120
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Index		100	101	111	111
Landed price of imports-USA	Rs./MT	14,185	13,805	18,067	19,172
Index		100	97	127	135
Landed price of imports-Turkey	Rs./MT	15,538	14,539	16,270	18,192
Index		100	94	105	117
Landed price of imports-Total	Rs./MT	14,331	14,086	16,925	18,747
Index		100	98	118	131

66. It is seen that both cost of sales and selling price increased over the injury period. However, whereas the cost of sales continue to increase in the POI, selling price has increased only very marginal. While cost of sales increased by 10 basis points in the POI as compared to preceding year, the selling price was almost constant. At the same time, though the landed value of imports from subject countries has increased, but it is less than the domestic selling price, thereby, preventing the Domestic Industry to increase its selling price.

F.6. Economic Parameters of the Domestic Industry

67. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and submissions made.

(a) Production, Capacity, Sales and Capacity Utilization

68. Capacity, production, sales and capacity utilization of the Domestic Industry over the injury period is given in the following table: -

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI(A)
Capacity	MT	9,47,096	10,58,500	11,24,750	11,44,500	15,26,000
Indexed		100	112	119	161	161
Production	MT	8,78,326	10,19,514	10,71,986	9,37,514	12,50,019

Indexed		100	116	122	142	142
Capacity Utilization	%	93%	96%	95%	82%	82%
Indexed		100	104	103	88	88
Domestic Sales	MT	8,15,013	9,28,870	9,66,628	8,55,676	11,40,902
Indexed		100	114	119	140	140

69. It is seen that

- a) the domestic industry has enhanced capacity. RSPL has started production in the POI with a plant having 500,000 MT, while GHCL has enhanced capacities in 2018-19. The demand for the product has increased over the years. The domestic industry contended that the domestic producers have enhanced capacities in view of the significant demand of the subject goods.
- b) Production and domestic sales have increased over the injury period in view of demand and addition of capacities.
- c) The capacity utilisation of the domestic industry declined in the POI. However, this could be due to addition of fresh capacities by M/s. RSPL.

(b) Profitability, return on investment and cash profits

70. Profitability, return on investment and cash profits of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below: -

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI(A)
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***	***
Indexed		100	103	110	120	120
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***	***
Indexed		100	101	111	111	111
Profit/(Loss) per unit	Rs./MT	***	***	***	***	***
Indexed		100	98	112	88	88
Profit/(Loss) - total	Rs.Lacs	***	***	***	***	***
Indexed		100	111	133	124	124
Profit before Interest and Tax	Rs.Lacs	***	***	***	***	***
Indexed		100	108	128	136	136
Profit before Interest and Tax	Rs./MT	***	***	***	***	***
Indexed		100	95	108	97	97
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***	***
Indexed		100	112	133	137	137
Cash Profit Per Unit	Rs./MT	***	***	***	***	***
Indexed		100	98	112	98	98
Return on Capital Employed-NFA	%	***	***	***	***	***
Return on Capital Employed-NFA (Range)	%	40-50	30-40	20-30	10-20	10-20
Indexed		100	74	51	40	40

71. It is seen that:

- a) While gross cash profit and profit before interest increased over the injury period, it is seen that per unit cash profit and profit before interest shows decline.

b) Return on Capital Employed has progressively declined over the injury period and has declined significantly in 2018-19 and POI when compared to earlier years.

72. The domestic industry contended that there was continuous decline in the profitability over the investigation period. The trends in import price and selling price of the domestic industry were additionally examined within the investigation period. Further, the profits and ROI of the domestic industry were additionally examined within the investigation period.

S.No.	Month	Import price from subject countries		Selling price of D.I.
		USA	Turkey	
1	Apr-19	17,116	16,463	***
2	May-19	16,722	16,702	***
3	Jun-19	17,610	16,532	***
4	Jul-19	18,313	16,864	***
5	Aug-19	17,879	16,616	***
6	Sep-19	18,212	17,376	***
7	Oct-19	-	16,875	***
8	Nov-19	17,285	16,883	***
9	Dec-19	17,755	16,860	***

	Apr-June 19	July-Sept 19	Oct-Dec 19
Cost of sales	***	***	***
Selling price	***	***	***
Profit/loss per unit	***	***	***
Cash profit/unit	***	***	***
ROCE	***	***	***
ROCE (Range) (%)	20-30	20-30	10-20

(c) Market share in demand

73. Market share in demand over the injury period is given in the table below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI(A)
Domestic Industry	%	***	***	***	***	***
Other domestic producers	%	***	***	***	***	***
Indian Industry as a whole	%	***	***	***	***	***
Subject countries-Imports	%	***	***	***	***	***
Other Countries-Imports	%	***	***	***	***	***
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

74. It is seen that the share of domestic industry in the market has increased, however, the market share of Indian industry as a whole has declined. Market share of domestic industry increased because of new capacities added by the domestic industry. At the same time market share of subject countries have increased significantly in the POI. Share of imports in the domestic market is over three times the share in the base year.

(d) Employment, productivity and wages

75. Employment, productivity and wages of Domestic Industry over the injury period is given in the table below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI(A)
No of Employees	Nos	2,287	2,270	2,695	2,699	2,699
Indexed		100	99	118	118	118
Wages	Rs. Lacs	10,390	11,448	13,334	11,041	14,721
Indexed		100	110	128	142	142
Productivity	MT/Per Day	2,510	2,913	3,063	3,571	3,571
Indexed		100	116	122	142	142

76. It is noted that the employment with the Domestic Industry has increased over the injury period with the increase in capacity. Wages paid have also increased. Productivity per day has increased with increase in production.

(e) Inventories

77. Inventory position with the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Average	MT	10,979	9,511	18,887	48,121
Indexed		100	87	172	438

78. It is seen that the inventories with the Domestic Industry have increased very significantly in 2018-19 and thereafter in the POI. Even in a situation of increasing demand, inventories with the domestic industry have increased significantly.

(f) Growth

79. It is seen that growth of the Domestic Industry in terms of production, capacity utilisation was adverse in the POI and growth in terms of inventories, profits, cash profits and return on investment was negative in the POI.

Particulars	2017-18	2018-19	POI	
			Actual	annualised
Production	16%	5%	17%	17%
Domestic Sales	14%	4%	18%	18%
Cost of Sales	3%	7%	9%	9%
Selling Price	1%	9%	0%	0%
Profit/Loss per Unit	-2%	15%	-21%	-21%
Inventories	-13%	99%	155%	155%
ROI	-13%	-31%	-22%	-22%
Cash Profit Per Unit	-2%	14%	-13%	-13%

(g) Factors affecting domestic prices

80. The examination of the import prices from the subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the Domestic Industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of imported material from the subject countries is below the selling price of the Domestic Industry, causing significant price undercutting. The price undercutting has led to price suppression in the Indian market. The demand for the subject goods increased significantly over the injury period and

therefore it could not have been a factor affecting domestic prices. It is provisionally concluded that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of subject goods from the subject countries.

F.7. Magnitude of Injury and Injury Margin

81. The Authority has determined Non-Injurious Price for the Domestic Industry on the basis of principles laid down in Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP determined for the Domestic Industry has been compared with the landed price from each of the producers/ exporters from the subject countries for calculating injury margin. The 'all others' rate has been determined based on the facts available with the Authority.

Sl. No	Name of the Producer Company	NIP (\$/MT)	Landed price (\$/MT)	Injury margin (\$/MT)	Injury margin %	Injury Margin Range (%)
A.	Turkey					
1	a)ETI Soda Uretim Pazarlama Nakliyat Ve Elektrik Uretim Sanayi Ve Ticaret A.S.	***	***	***	***	0-10
	b)Kazan Soda Elektrik Uretim A.S	***	***	***	***	0-10
	Weighted Average of Ciner Group	***	***	***	***	0-10
2	Soda Sanayii A.S.	***	***	***	***	0-10
3	Any other producer/exporter	***	***	***	***	0-10
B.	USA					
4	Searles Valley Minerals Inc.	***	***	Negative	Negative	
5	Tata Chemicals Soda Ash Partners ("TCSAP")	***	***	***	***	0-10
6	Any other producer/exporter	***	***	***	***	0-10

82. The Authority noted the claim of the domestic industry with regard to inclusion of freight has determined injury margin, both, by including freight and excluding freight. However, at this stage, and pending further investigation, the Authority has considered the injury margin without adding freight.

G. Threat of material Injury

83. As noted in the initiation notification, the applicants have claimed that imports have increased significantly and are further causing threat of material injury. The claim has been analysed by the Authority in detail, hereunder.

84. Antidumping Rules provide as follows with regard to threat of material injury—

Annexure II Para (vii): A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances which would create a situation in which the dumping would cause injury must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the designated authority shall consider, inter alia, such factors as:

(a) significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;

(b) sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;

(c) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and

(d) inventories of the article being investigated.

85. Evidence provided by the domestic industry and questionnaire response filed by the responding exporters have been examined.

- a. Imports from subject countries have increased significantly. The rate of increase in imports from the previous year to the POI is quite significant.
- b. The producers in subject countries have established significant capacities and are highly export oriented.
- c. The imports are entering at prices below the level of selling price and thus undercutting the prices of the domestic industry. The price undercutting is causing price suppression in the market.
- d. The price undercutting coupled with surplus capacities with the foreign is likely to increase demand for subject goods in the market.
- e. Inventory level with the exporters as seen from their responses are significant.

86. It is thus seen that imports from the subject countries are further threatening material injury to the domestic industry.

H. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

87. As per the AD Rules, the Authority, *inter alia*, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the Domestic Industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, *inter alia*, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the Domestic Industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

(a) Volume and price of imports from third countries

88. There are significant imports from countries not under investigation. It is however noted that imports from countries other than the subject countries were at a price higher than the import price from subject countries.

(b) Export Performance

89. It is seen that domestic industry is largely in the domestic market. In any case, the Authority has considered the data for domestic operations for its injury analysis.

(c) Development of Technology

90. There is no known material developments in technology over the injury period. Changes in the technology could not have caused claimed injury to the Domestic Industry.

(d) Performance of other products of the company

91. The Authority has considered performance of the domestic industry only in respect of product under consideration. The injury claimed to the domestic industry is only in respect of the subject goods.

(e) Trade Restrictive Practices and Competition between the Foreign and Domestic producers

92. There is no known trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

(f) Contraction in Demand and Changes in pattern of consumption

93. It is noted that the demand of the subject goods has increased consistently over the entire injury period. Thus, it can be provisionally concluded that the injury to the Domestic Industry was not due to contraction in demand or changes in pattern of consumption.

Other Issues

94. Trade Notice no. 10/2018 on confidentiality has not been complied with. Aggregated actual Information have not been provided only trend has been shown. Actual information on relationship of petitioners with foreign producers/importers and value of production not provided.
95. The Authority must ensure that the alleged injury is not offset twice in accordance with Section 9B (1) (a) of the Customs Tariff Act, 1975 in view of parallel countervailing duty investigation on imports of Soda Ash from Turkey.
96. The Authority has considered the confidentiality claims as per the AD rules and the approach being adopted in Trade Notice No. 10/2018. The non-confidential version of parameters are stated in this preliminary finding as per the Authorities consistent practice.

I. CONCLUSION ON INJURY & CAUSAL LINK:

97. The Authority provisionally concludes as under:
- i Imports of the subject goods from the subject countries have increased in absolute and relative terms over the entire period of investigation.
 - ii Imports are undercutting the prices of the domestic industry, and is preventing increase of price, which otherwise would have occurred in the absence of dumped imports. Imports are causing price suppression in the market.
 - iii The price undercutting and price underselling from the subject countries during the POI is positive and quite significant.
 - iv The price suppression caused by dumped imports has caused significant decline in profits, cash profits and return on capital employed.
 - v The price undercutting and surplus capacities with the domestic industry indicates that the domestic industry is threatened with further injury.

J. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

98. After examining the submissions made; and considering the facts available on record, the Authority provisionally concludes that:
- a) There is substantial increase in imports of subject goods from the subject countries in absolute terms as well as in relation to production & consumption in India during the POI as compared to the previous years.
 - b) The product under consideration has been exported to India from the subject countries below the normal values, resulting in dumping.
 - c) The Domestic Industry has suffered material injury. Imports are threatening further injury to the domestic industry.
 - d) Injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries.
99. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the Domestic Industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the authority is of the view that imposition of provisional duty is required to offset dumping and injury, pending completion of the investigation. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of provisional anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.
100. In terms of provision contained in Rule 4(d) of the Rules, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Noting the fact that landed price of subject goods shows declining trend in POI contrary to the cost of production trend in POI, the Authority notes that

cost of PUC showed rising trend during the same period, the Authority, therefore, considers it appropriate to recommend imposition of provisional anti-dumping duty on the basis of Reference/Benchmark Price on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government. Reference Price is computed as “Landed Value+ Lower of [(1) Dumping Margin and (2) Injury Margin]”. Provisional anti-dumping duty shall be equal to the difference between the Reference Price indicated in column 7 of the table below and the landed value. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

S.No	HS Code*	Description of goods	Country of origin	Country of Export	Producer	Reference Price	Unit	Currency
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	2836.20	Soda ash (Disodium Carbonate)	United States of America	United States of America	All except Searles Valley Minerals Inc.	275.08	Metric Tonne	US\$
2	2836.20	Soda ash (Disodium Carbonate)	United States of America	Any country Other than United States of America and Turkey	Any	275.08	Metric Tonne	US\$
3	2836.20	Soda ash (Disodium Carbonate)	Any country Other than United States of America and Turkey	United States of America	Any	275.08	Metric Tonne	US\$
4	2836.20	Soda ash (Disodium Carbonate)	Turkey	Turkey	Soda Sanayii A.S	266.37	Metric Tonne	US\$
5	2836.20	Soda ash (Disodium Carbonate)	Turkey	Any country Other than Turkey and United States of America	Any	275.08	Metric Tonne	US\$
6	2836.20	Soda ash (Disodium Carbonate)	Any country other than Turkey and United States of America	Turkey	Any	275.08	Metric Tonne	US\$

*Custom classification is only indicative and the determination of the duty shall be made as per the description of PUC. The PUC mentioned above should be subject to above ADD even when it is imported under any other HS code

K. FURTHER PROCEDURE

101. The procedure as below would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

- a. The Authority invites comments on these provisional findings from all the interested parties and the same would be considered in the final finding.
- b. Domestic Industry, exporters, importers and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make their views known, within forty days from the date of the publication of these preliminary findings.
- c. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings.
- d. The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary.
- e. The Authority would disclose the essential facts as per the Anti-dumping Rules before announcing the final findings.

BIDYUT BEHARI SWAIN, Special Secy. & Designated Authority(Safeguard)